



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 25, 2019/श्रावण 3, 1941

No. 263]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 25, 2019/SHRAVANA 3, 1941

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)

अधिसूचना

गुरुग्राम, 24 जुलाई, 2019

सं. जेईआरसी 24/2019.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 की उप-धारा (1) तथा धारा 42, 61(ज), 66, 83 और 86(1)(ड.) के साथ पठित धारा 181 की उप-धारा (2) के खंड (जेडडी), (जेडई) और (जेडएफ) के तहत प्रदत्त शक्तियों, और इससे प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. लघु शीर्षक, प्रारंभण और सीमा

- 1.1 इन विनियमों को "गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों (नेट मीटरिंग पर आधारित सौर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणाली) विनियम, 2019 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग" कहा जाएगा (इसके बाद से "नेट मीटरिंग विनियम, 2019" के रूप में संदर्भित)।
- 1.2 ये विनियम सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 1.3 ये विनियम गोवा राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होंगे।
- 1.4 ये विनियमन केवल ग्रिड से संबद्ध रूफटॉप माउंटेड, ग्राउंड माउंटेड और अस्थायी सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर ही लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ, संकेताक्षर और व्याख्याएँ

2.1 इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (1) **"अधिनियम"** का अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36), और उसके बाद किए गए संशोधनों से है;
- (2) **"औसत बिजली क्रय लागत" (एपीपीसी)** का अर्थ दीर्घावधि, मध्यम अवधि और अल्पावधि आधार पर सभी ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित वर्ष, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खरीदी गई ऊर्जा को छोड़कर सौर ऊर्जा का उत्पादन हुआ है, में टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार वितरण लाइसेंसधारी की परिधि में बिजली खरीद के भारत औसत पूल मूल्य है;
- +
- (3) **"प्राधिकरण"** का अर्थ है अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण;
- (4) **"बिलिंग चक्र"** का अर्थ उस अवधि से है जिसके लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट अनुसार लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणी के लिए नियमित बिजली बिल तैयार किए जाते हैं;
- (5) **"सीओडी"** या **"वाणिज्यिक प्रचालन तिथि"** या **"वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि"** का अर्थ उस तारीख से है जिस तारीख को उत्पादन संयंत्र ग्रिड प्रणाली के साथ सिंक्रनाइज़ किया जाता है;
- (6) **"चेक मीटर"** का अर्थ उस मीटर से है जो करंट ट्रांसफॉर्मर (सीटी) और वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर (वीटी) की उसी कोर से जुड़ा हो, जिससे सौर ऊर्जा मीटर जुड़ा हो और इसका इस्तेमाल मेन मीटर या सौर ऊर्जा मीटर के खराब होने के मामले में बिजली के लेखे-जोखे और बिलिंग के लिए उपयोग किया जाएगा;
- (7) **"आयोग"** या **"संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग"** या **"जेईआरसी"** का अर्थ गोवा राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, पुदुचेरी और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग है जैसा कि अधिनियम की धारा 82 की उप-धारा (1) में संदर्भित और अधिनियम के तहत स्थापित है;
- (8) **"कनेक्शन करार"** का अर्थ वितरण-लाइसेंसधारी और उपभोक्ता के बीच नेट-मीटरिंग अंतर-कनेक्शन करार से है;
- (9) **"उपभोक्ता"** का अर्थ किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जो अधिनियम या विद्यमान किसी अन्य कानून के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी की विद्युत वितरण प्रणाली से जुड़ा है या अन्य कोई व्यक्ति जो जनता को बिजली की आपूर्ति के व्यवसाय से संबद्ध है, और इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसका परिसर बिजली प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है;
- (10) **"उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (संक्षेप में सीजीआरएफ)"** का अर्थ है अधिनियम की धारा 42(5) के तहत स्थापित उपभोक्ताओं की शिकायत के निवारण के लिए मंच;
- (11) **"अनुबंधित लोड"** या **"अनुबंध मांग"** का अर्थ है कि.वाॉट, केवीए या एचपी में अधिकतम मांग, जिसकी वितरण लाइसेंसधारी ने आपूर्ति किए जाने पर सहमति दी है और जैसा कि लाइसेंसधारी और उपभोक्ता के बीच निष्पादित करार में दर्शाया गया है;

- (12) **"क्रेडिट नोट"** का अर्थ ग्रिड को दी गई अधिशेष बिजली या उपभोक्ता द्वारा वित्त वर्ष के अंत में खाते में जमा की गई यूनिटों (केडब्ल्यूएच) की संख्या से है, जिसके लिए वितरण लाइसेंसधारी इन विनियमों के अनुसार उपभोक्ता को भुगतान करेगा;
- (13) **"वितरण लाइसेंसधारी"** का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसे अधिनियम की धारा 14(ख) के अंतर्गत लाइसेंस से है जिसके द्वारा उसे आपूर्ति के अपने क्षेत्र में वितरण प्रणाली का प्रचालन और रखरखाव करने तथा उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;
- (14) **"विद्युत आपूर्ति कोड"** का अर्थ अधिनियम की धारा 50 और उसके बाद किए गए संशोधनों के तहत आयोग द्वारा निर्दिष्ट विद्युत आपूर्ति कोड से है;
- (15) **"पात्र उपभोक्ता"** का अर्थ है वितरण लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र में कोई बिजली उपभोक्ता, जो स्वयं के स्वामित्व वाले या तीसरे पक्ष के स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा परियोजना का उपयोग करता है, ताकि उपभोक्ता की आंशिक या सभी बिजली आवश्यकतएँ पूरी हो सकें;
- (16) **"फीड-इन-टैरिफ"** का अर्थ है, गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से शुल्क निर्धारण की निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2019 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के अनुसार या समय-समय पर संशोधित सकल मीटरिंग के लिए सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं से उत्पादन के लिए आयोग द्वारा निर्धारित सामान्य शुल्क;
- (17) **"ग्रिड"** का अर्थ है निम्न वोल्टेज विद्युत नेटवर्क, वितरण और संचरण नेटवर्क या इन विनियमों में परिभाषित अनुसार ऊर्जा की बिक्री या ऊर्जा के चक्रण के लिए परस्पर संबद्ध ट्रांसमिशन लाइनों, सब-स्टेशनों और उत्पादन संयंत्रों की उच्च वोल्टेज आधारभूत प्रणाली;
- (18) **"ग्रुप नेट मीटरिंग"** का अर्थ है कि ऐसी व्यवस्था जिसके तहत अधिशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसे नेट मीटर के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से इंजेक्ट किया जाता है और बाहरी ऊर्जा को एक ही उपभोक्ता के एक से अधिक बिजली सेवा कनेक्शनों में या एक ही वितरण लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र के भीतर स्थित परिसरों में अलग-अलग आधार पर समायोजित किया जाता है;
- (19) **"स्थापित क्षमता"** का अर्थ सौर परियोजना की सभी यूनिटों की केडब्ल्यूपी में व्यक्त नेमप्लेट क्षमता का योग या आयोग द्वारा अनुमोदित आउटपुट टर्मिनलों पर गणना की गई सौर परियोजना की क्षमता है;
- (20) **"परस्पर संबद्ध स्थल"** का अर्थ या समय-समय पर संशोधित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2018 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग में परिभाषित अनुसार उचित वोल्टेज स्तर पर वितरण लाइसेंसधारी नेटवर्क के साथ सौर परियोजना का इंटरफ़ेस बिंदु से है;
- (21) **"बीजक"** का अर्थ है एक आवधिक विधेयक / पूरक विधेयक या उपभोक्ता को वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत कोई बीजक / अनुपूरक बीजक;
- (22) **"माह"** का अर्थ अंग्रेजी कैलेंडर माह जो पहले दिन / माह की तारीख से शुरू और माह के अंतिम दिन / तारीख को समाप्त होता है। आंशिक माह, किसी विशिष्ट माह में कुल दिनों की संख्या के अनुपात में दिनों की संख्या के लिए लागू होगा;

- (23) **"नेट मीटरिंग"** का अर्थ है ऐसा करार, जिसके तहत बिलिंग की लागू अवधि के दौरान ऐसे पात्र उपभोक्ता को वितरित लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली बिजली को बंद करने के बाद, वितरण लाइसेंसधारी के ग्रिड को पात्र उपभोक्ता के परिसर में स्थापित सोलर पीवी सिस्टम की अधिशेष बिजली, यदि कोई हो, की आपूर्ति की जा रही हो;
- (24) **"नेट मीटर"** का अर्थ है एक उपयुक्त दो-आयामी ऊर्जा मीटर जो सौर परियोजना से उत्पन्न बिजली के ग्रिड और निर्यात दोनों को रिकॉर्ड करने में सक्षम है;
- (25) **"प्रतिबद्ध कंपनी"** का अर्थ है आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित नवीकरणीय क्रय प्रतिबंधों को पूरा करने के लिए अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के उपखंड (ड.) के तहत समय-समय पर संशोधित और अधिदेशित अनुसार गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों (नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद) विनियम, 2010 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के अंतर्गत चुने गए बिजली के लाइसेंसधारी आपूर्तिकर्ताओं, वितरण लाइसेंसधारियों, कैप्टिव उपयोगकर्ताओं और ओपन एक्सेस उपभोक्ता(ओं) से है;
- (26) **"लोकपाल"** का अर्थ अधिनियम की धारा 181 के साथ पठित धारा 42(6) के अनुसार नियुक्त व्यक्ति है;
- (27) **"ओपन एक्सेस उपभोक्ता"** का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति, जिसे आपूर्ति के अपने क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली और/ या वितरण प्रणाली का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, और इसकी अभिव्यक्ति में एक उत्पादक कंपनी और एक लाइसेंसधारी शामिल है, जिसने ओपन एक्सेस का लाभ उठाया है या ओपन एक्सेस का लाभ उठाना चाहती है;
- (28) **"प्रोजेक्ट विकासकर्ता"** का अर्थ है सौर परियोजना का विकासकर्ता, जो अपने स्वयं के परिसर या पट्टे पर या किराए पर लिए गए परिसर में ऐसी परियोजना का विकास करेगा;
- (29) **"प्रोजेक्टर"** का अर्थ उस उपभोक्ता से है जो सौर ऊर्जा का निर्माता भी है;
- (30) **"सौर ऊर्जा उत्पादक"** का अर्थ है ऐसा व्यक्ति या कंपनी या लोगों का समूह जो अपने उपयोग के लिए सौर बिजली के उत्पादन और वितरण लाइसेंसधारी को अधिशेष बिजली की बिक्री करने के उद्देश्य से एक सौर परियोजना स्थापित करना चाहता है या सौर परियोजना स्थापित कर चुका है;
- (31) **"परिसर"** का अर्थ है किसी आवास/ कारखाने/ मालगोदाम/ सरकारी भवन/ पंचायत भवन/ सामुदायिक केंद्र/ स्कूल/ डिस्पेंसरी/ अस्पताल/ पार्किंग स्थल/ बस स्टैंड/ ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/ मार्केट सोसाइटी/ बाजार की छत/ नहरों/ जल भंडारों/ ऐसी कोई जगह/ या खाली स्थान और भूमि, भवन या अवसंरचना या उसका कोई भाग या संयुक्त क्षेत्र, या किराए पर या पट्टे पर लिया गया क्षेत्र, या कोई बहुमंजिला इमारत, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/ आवासीय कल्याण संघ/ मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन/ औद्योगिक कल्याण समूह और जिसके संबंध में लाइसेंसधारी द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए एक अलग मीटर या मीटरिंग की व्यवस्था की गई है। परिसर में ऐतिहासिक महत्व की संरचनाएं शामिल नहीं हैं (जब तक कि उपयुक्त प्राधिकारी से अनुमति न ले ली जाए);
- (32) **"नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी)"** का अर्थ है, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित विनियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार जारी किया गया प्रमाण-पत्र;
- (33) **"नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ)"** का अर्थ है नवीकरणीय विद्युत क्रय प्रतिबद्धता;
- (34) **"स्वीकृत लोड"** का अर्थ है केडब्ल्यू, केवीए या एचपी में लोड, जिस पर लाइसेंसधारी ने वितरण लाइसेंसधारी और उपभोक्ता के बीच समझौता न होने की स्थिति में सरकारी निबंधन एवं शर्तों के अधीन समय-समय पर आपूर्ति करने के लिए सहमति व्यक्त की है;

- (35) **"निपटान अवधि"** का अर्थ है अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष के अनुसार अप्रैल के पहले दिन से शुरू होने वाली अवधि और अगले वर्ष मार्च की इकत्तीस दिनों के साथ समाप्त होने वाली अवधि;
- (36) **"सौर ऊर्जा मीटर"** का अर्थ है सौर परियोजना द्वारा उत्पन्न सकल सौर ऊर्जा यूनिटों को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मीटर, जिसका उपयोग लेखांकन और बिलिंग के उद्देश्य से किया जाता है;
- (37) **"सोलर ग्रिड इन्वर्टर"** का अर्थ है ऐसे उपकरण जो सोलर पावर मॉड्यूल से डीसी (डायरेक्ट करंट) को ग्रिड-अनुकूल एसी (वैकल्पिक करंट) पावर में परिवर्तित करते हैं;
- (38) **"सौर फोटोवोल्टिक विद्युत"** का अर्थ है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित एक सौर फोटोवोल्टाइक विद्युत परियोजना, जो क्रिस्टलीय सिलिकॉन या पतली फिल्म, आदि जैसी प्रौद्योगिकियों पर आधारित फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके बिजली में सीधे रूपांतरण करती है;
- (39) **"सौर परियोजना"** का अर्थ है कोई रूफटॉप या ग्राउंड माउंटेड या फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक और अन्य लघु सौर ऊर्जा उत्पादन स्टेशन, जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग बिजली में सीधे रूपांतरण करने के लिए करता है;
- (40) **"सौर परियोजना विकासकर्ता (एसपीडी)"** का अर्थ है ऐसा उपभोक्ता या कंपनी जिसकी सौर परियोजना को वितरण लाइसेंसधारक द्वारा कनेक्टिविटी दी गई है;
- (41) **"सौर ऊर्जा उत्पादक (एसपीजी)"** का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसने अनुमोदित परियोजना से सौर ऊर्जा पैदा करने शुरू कर दिया है;
- (42) **"राज्य नोडल एजेंसी"** का अर्थ है संबंधित राज्य या केंद्र क्षेत्र प्रदेश की एजेंसी, जिसे आयोग द्वारा एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु मान्यता प्रदान करने तथा अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (ड.) के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुसार ऐसे कार्यों को करने के लिए पंजीकरण हेतु नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की सिफारिश करने के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है;
- (43) **"बिजली आपूर्तिकर्ता"** का अर्थ ऐसे व्यक्ति या यूनिट से है जिसके पास उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति करने के लिए लाइसेंस है;
- (44) किसी लाइसेंसधारी के संबंध में **"टैरिफ ऑर्डर"** का अर्थ है आयोग द्वारा ऐसे लाइसेंसधारी को जारी किया गया अंतिम खुदरा टैरिफ ऑर्डर जिसमें लाइसेंसधारी द्वारा विद्युत ऊर्जा और सेवाओं की आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों से वसूला जाने वाला शुल्क दर्शाया जाता है;
- (45) **"तृतीय पक्ष स्वामित्व"** का अर्थ है सौर परियोजना विकासकर्ता के स्वामित्व वाली कोई सौर परियोजना जो छत या उठे हुए ढांचे पर स्थापित है या उपर्युक्त 1(31) में परिभाषित है जिसके लिए सौर परियोजना विकासकर्ता द्वारा मालिक के साथ कोई वाणिज्यिक पट्टा या राजस्व हिस्सेदारी समझौता किया गया है;
- (46) **"वर्चुअल नेट मीटरिंग"** का अर्थ ऐसा समझौता है जिसके द्वारा उपभोक्ता के परिसर या किसी अन्य स्थान पर स्थापित सौर परियोजना से उत्पन्न पूरी ऊर्जा को सौर ऊर्जा मीटर के माध्यम से इंजेक्ट किया जाता है और एक ही वितरण लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र में स्थित भागीदार उपभोक्ता(ओं) को प्रेषित ऊर्जा को एक या एक से अधिक बिजली सेवा कनेक्शन में समायोजित किया जाता है;
- (47) **"वर्ष"** या **"वित्तीय वर्ष"** का अर्थ किसी अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष की 1 अप्रैल से शुरू होने वाली अवधि और उसके बाद आने वाले कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त अवधि होता है।

2.2 **संक्षिप्तियां:** इन विनियमों में निम्नलिखित हैं होगा के रूप में व्याख्या की:

- (i) "ईपीसी" का अर्थ है वितरण लाइसेंसधारी द्वारा अधिकृत इंजीनियरिंग प्रापण एवं निर्माण संविदाकार;
- (ii) "केडब्ल्यूपी" का अर्थ है सौर संयंत्र की दर के रूप में प्रयुक्त शब्द किलो वाट शीर्ष;
- (iii) "एमएनआरई" का अर्थ है भारत सरकार का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय;

2.3 इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है परंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में प्रदान किया गया है। यहाँ इस्तेमाल किए गए अन्य शब्द एवं अभिव्यक्तियां जिन्हें इन विनियमों या अधिनियम में विशेष रूप से परिभाषित नहीं हैं, लेकिन राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत उद्योग पर लागू संसद द्वारा पारित किसी अन्य कानून के तहत परिभाषित किया गया है, का ऐसे कानून में उन्हें सौंपा गया अर्थ होगा।

3. विनियमों का कार्यक्षेत्र और आवेदन की सीमा

- 3.1 ये विनियम इन विनियमों में निर्दिष्ट पात्रता मानदंड की पूर्ति के अधीन ग्रिड से जुड़े सौर परियोजनाओं पर लागू होंगे।
- 3.2 समूह नेट मीटरिंग ढांचा सभी उपभोक्ताओं पर लागू होगी।
- 3.3 वर्चुअल नेट मीटरिंग ढांचा आवासीय उपभोक्ताओं, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और सरकार/ स्थानीय प्राधिकरणों के प्रतिष्ठानों पर लागू होगा।

4. पात्रता मापदंड

4.1 एमएनआरई द्वारा अनुमोदित प्रौद्योगिकियों के आधार पर किसी परिसर पर 500 केडब्ल्यूपी तक की क्षमता वाली सौर परियोजनाएं इन विनियमों के तहत परियोजना को ग्रिड से जोड़ने के लिए पात्र हैं। समूह नेट मीटरिंग या वर्चुअल नेट मीटरिंग ढांचे के तहत स्थापित की जाने वाली सौर परियोजना की क्षमता 5 केडब्ल्यूपी से कम और 500 केडब्ल्यूपी से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते यह कि यदि वितरण प्रणाली उच्च रेटिंग वाली सौर परियोजना ग्रिड से जुड़ी होने के साथ स्थिर रहती है तो वितरण लाइसेंसधारी द्वारा 500 केडब्ल्यूपी से अधिक की रेटिंग वाली सौर परियोजना पर विचार किया सकता है।

4.2 पात्र उपभोक्ता इन विनियमों के तहत सौर परियोजना स्थापित कर सकता है, बशर्ते सौर परियोजना:

- i. इन विनियमों के तहत परिभाषित अनुमत क्षमता के भीतर हो;
- ii. उपभोक्ताओं के परिसर में स्थित हो;
- iii. वितरण लाइसेंसधारी के नेटवर्क के समानांतर परस्पर संबद्ध और प्रचालन में सुरक्षित हो।

4.3 उपभोक्ता स्वयं की खपत के लिए सौर ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और उन्हें अतिरिक्त सौर ऊर्जा को ग्रिड में भेजने की अनुमति होगी, जिसे इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नेट मीटरिंग के तहत समायोजित किया जाएगा।

4.4 किसी भी पात्र उपभोक्ता के परिसर में स्थापित की जाने वाली अधिकतम सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता उसकी अनुबंध मांग (केवीए में) या स्वीकृत भार (किलोवाट में) से अधिक नहीं होगी।

5. तृतीय पक्ष स्वामित्व वाली सौर परियोजना

सौर परियोजना के स्वामित्व वाले तीसरे पक्ष में, निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

- (i) उपभोक्ता नेट मीटरिंग ढांचे के तहत सौर परियोजना स्थापित करने के लिए परस्पर वाणिज्यिक समझौते पर रूफटॉप स्थान/ भूमि / जलाशयों को सौर परियोजना विकासकर्ता को पट्टे / किराए पर दे सकता है। उपभोक्ता सौर परियोजना द्वारा उत्पादित सौर ऊर्जा के लिए परस्पर सहमत टैरिफ का भुगतान करेगा। परियोजना विकासकर्ता और संभावित उपभोक्ता के बीच वाणिज्यिक समझौता रिकार्ड के लिए वितरण लाइसेंसधारी को प्रस्तुत किया जाएगा और वितरण लाइसेंसधारी की ऐसे वाणिज्यिक समझौते में कोई भूमिका नहीं होगी। नेट मीटरिंग ढांचे के सभी प्रावधान सौर परियोजना विकासकर्ता द्वारा स्थापित सौर परियोजना पर लागू होंगे।
- (ii) इन विनियमों के तहत स्थापित ऐसी सौर परियोजनाओं को ओपन एक्सेस प्रतिबंधों और हानि सहित संबंधित शुल्कों से छूट दी जाएगी।
- (iii) वितरण लाइसेंसधारी / नोडल एजेंसी ऐसे अन्य व्यवसाय मॉडल का पता लगा सकती है जो ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर परियोजनाओं के प्रसार की सुविधा प्रदान करे। इन विनियमों में किसी भी नए व्यवसाय मॉडल की परिकल्पना नहीं की गई है, अतः आयोग इस संबंध में दायर की जाने वाली विशिष्ट याचिका के आधार पर ऐसे व्यवसाय मॉडल की रूपरेखा को मंजूरी देगा।

6. सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता

6.1 वितरण लाइसेंसधारक अपने लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए मांग प्राप्त करने और अन्य संबंधित गतिविधियों का कार्य कर सकता है। वितरण लाइसेंसधारक ईपीसी को सौर ऊर्जा विकास करने के लिए कह सकता है:

बशर्ते कि यदि वितरण लाइसेंसधारी ईपीसी पर कार्य करता है, तो ऐसी गतिविधि से आय को लागू टैरिफ विनियमों के प्रावधानों के तहत "अन्य आय" माना जाएगा।

6.2 वितरण लाइसेंसधारी सौर परियोजना विकास करेगा:

बशर्ते कि किसी विशेष वितरण ट्रांसफार्मर पर अनुमेय संचयी सौर क्षमता वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता के 75 प्रतिशत से अधिक न हो:

बशर्ते आगे यह कि वितरण लाइसेंसधारी उसके द्वारा किए गए विस्तृत लोड अध्ययन का देखते हुए किसी विशेष वितरण ट्रांसफार्मर और फीडर से जुड़ी सौर ऊर्जा क्षमता को 75 प्रतिशत से अधिक क्षमता से जोड़ने की अनुमति दे सकता है।

6.3 वितरण लाइसेंसधारी सौर परियोजनाओं को जोड़ने के लिए उपलब्ध वितरण ट्रांसफार्मरों और उनकी क्षमता को वार्षिक आधार पर अद्यतन करेगा तथा अपनी वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध कराएगा और साथ ही आयोग को सूचित करेगा।

7. सौर परियोजना - प्रकार

इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, आयोग ने संभावित उपभोक्ता के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं को कवर किया है, जो रूफटॉप माउंटेड, ग्राउंड माउंटेड, जलाशयों पर तैरते हुए या ऊपर उठे हुए ढांचों पर स्थापित हो सकती हैं।

8. मीटरिंग व्यवस्था

8.1 मीटरिंग प्रणाली समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (स्थापना और मीटरों का संचालन विनियम, 2006 के अनुसार होगी।

8.2 सौर परियोजना के चालू होने से पहले मौजूद उपभोक्ता मीटर के समान सटीक नेट मीटर को मौजूदा मीटर के स्थान पर लगाया जाएगा:

बशर्ते कि यदि पात्र उपभोक्ता मान्य ('टीओडी') टैरिफ के दायरे में है, तो स्थापित नेट मीटर टीओडी की खपत और उत्पादन को रिकॉर्ड करने में सक्षम होगा:

बशर्ते आगे यह कि ऐसे मीटर वितरण लाइसेंसधारी या उपभोक्ता द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं, बशर्ते कि ये आपूर्तिकर्ताओं की अनुमोदित सूची से संबंधित हों:

बशर्ते कि यदि मीटर वितरण लाइसेंसधारी द्वारा लगाया जाता है, तो इसकी लागत उपभोक्ता से परियोजना की सीओडी से पहले वसूली जाएगी।

8.3 सौर ऊर्जा मीटर (एकल दिशा वाला मीटर) को नेट मीटरिंग प्रणाली के अभिन्न भाग के रूप में उस स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए, जहां सौर परियोजना द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है और उसे मुख्य पैनल तक पहुंचाया जाता है। सौर ऊर्जा मीटर में मीटर रीडिंग उपकरण (एमआरआई) या वायरलेस उपकरण का उपयोग करके मीटर रीडिंग दर्ज करने की सुविधा होनी चाहिए।

8.4 20 किलो.वाट से अधिक क्षमता वाली सौर परियोजना के लिए चेक मीटर अनिवार्य होगा। उन प्रतिष्ठानों के लिए जिनकी क्षमता 20 किलोवाट से कम या इसके बराबर है, चेक मीटर लगाना वैकल्पिक होगा:

बशर्ते कि चेक मीटर की लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी, और ऐसे मीटर की वितरण लाइसेंसधारी द्वारा जांच और स्थापना की जाएगी।

8.5 वितरण लाइसेंसधारी मीटर उपकरण/ प्रणाली की स्थापना करने, उसका परीक्षण और रखरखाव करने तथा लागू मानकों और विनिर्देशों का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार होगा।

8.6 यदि लगाए गए मीटर उपभोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, तो उनका निरीक्षण किया जाएगा, सटीकता की दृष्टि सत्यापन किया जाएगा और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में (यदि वह परीक्षण के समय उपस्थित होना चाहते हैं) सील किया जाएगा।

9. वितरण नेटवर्क, मानक और सुरक्षा के साथ इंटर-कनेक्शन

9.1 वितरण लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके वितरण नेटवर्क के साथ सौर परियोजना का इंटर-कनेक्शन सीईए (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2013, यथा संशोधित सीईए (ग्रिड में कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2007, यथा संशोधित सीईए (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम 2010, यथा संशोधित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम 2018, और यथा संशोधित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2010 में विनिर्दिष्ट विनिर्देशों, मानकों और अन्य प्रावधानों के अनुरूप है।

9.2 वितरण लाइसेंसधारी के सभी पात्र उपभोक्ताओं को आयोग के अधिकार क्षेत्र में नेट मीटरिंग सहित सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बैटरी बैक-अप स्पोर्ट सहित/ उसके बिना अनुमति दी जाएगी:

बशर्ते, यदि कोई पात्र उपभोक्ता बैटरी बैक-अप के साथ कनेक्टिविटी का विकल्प चुनता है, तो इन्वर्टर में बैटरी / विकेंद्रीकृत उत्पादन (डीजी) पावर को ग्रिड सप्लाय के अभाव में ग्रिड में प्रवाहित होने से रोकने के लिए अलग सक बैक-अप वायरिंग की जाएगी, और यह कि एक स्वचालित और साथ ही मैनुअल पृथक्करण स्विच भी प्रदान किया जाएगा।

आगे यह भी कि इन्वर्टर **अनुबंध क** में निर्धारित मानकों के अनुरूप होगा।

- 9.3 पात्र उपभोक्ता नेट मीटर तक सुरक्षित प्रचालन, सौर परियोजना में किसी दोष की मरम्मत एवं सुधार करने के लिए जिम्मेदार होगा, और इस बिंदु के बाद, जिसमें नेट मीटर भी शामिल है, की जिम्मेदारी वितरण लाइसेंसधारी की होगी:
- बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा सौर ऊर्जा मीटर को बनाए रखा जाएगा।
- 9.4 पात्र उपभोक्ता ग्रिड या आपूर्ति की विफलता की स्थिति में वितरण लाइसेंसधारी के नेटवर्क से सौर परियोजना को उचित सुरक्षा प्रदान करेगा।
- 9.5 उपभोक्ता मानवों / जानवरों, जो कोई भी हों, के साथ होने वाली किसी भी दुर्घटना (घातक / गैर-घातक/ विभागीय/ गैर-विभागीय) के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, जो ग्रिड की आपूर्ति के बंद होने पर सौर परियोजना से वापस फीडिंग के कारण हो सकती है:
- बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारी को वितरण प्रणाली के रखरखाव के लिए किसी भी समय इस वितरण परियोजना से दुर्घटना या क्षति के खतरे की स्थिति में अपने वितरण नेटवर्क से सौर परियोजना को बंद करने का अधिकार होगा, ताकि किसी भी दुर्घटना या इससे होने वाले नुकसान से बचा जा सके:
- आगे यह भी कि पात्र उपभोक्ता अपने स्वयं के उपभोग के लिए अपनी सौर परियोजना का उपयोग पृथक मोड में कर सकता है।
- 9.6 वितरण लाइसेंसधारी और पात्र उपभोक्ता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के संगत विनियमों में निर्दिष्ट अनुसार अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।
- 9.7 नेट मीटरिंग के लिए हिंदुस्तान एचटी उपभोक्ताओं को एलटी स्तर पर उपभोग के लिए एचटी वोल्टेज स्तर पर सौर परियोजना के लिए अलग से कनेक्टिविटी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

10. संचार सुविधाएं

- सभी ग्रिड कनेक्टेड सौर परियोजनाओं में बिजली के मीटर लगे होंगे, जो इन नियमों के तहत प्रदान किए गए सौर ऊर्जा मीटर के माध्यम से ग्रिड में इंजेक्शन के लिए ऊर्जा भंडारण के लिए ऊर्जा को रिकॉर्ड करेंगे।
- बशर्ते कि सभी परियोजनाओं में वितरण लाइसेंसधारी के साथ वास्तविक समय सूचना का आदान-प्रदान के लिए संचार पोर्ट होगा:
- आगे यह भी कि सभी मीटरों में उन्नत मीटर ढांचा (एएमआई) सुविधा होगी।

11. बिलिंग, ऊर्जा लेखा और निपटान

- 11.1 सौर परियोजना से भेजी जाने वाली बिजली और पात्र उपभोक्ता द्वारा ग्रिड से ली जाने वाली बिजली का लेखा-जोखा वितरण नेटवर्क सहित सौर परियोजना की कनेक्टिविटी की तारीख से प्रभावी हो जाएगा।
- 11.2 प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए, वितरण लाइसेंसधारी निम्नलिखित को अलग से दर्शाएगा:-
- (क) पात्र उपभोक्ता द्वारा भेजी गई बिजली यूनिटों की मात्रा;
- (ख) पात्र उपभोक्ता द्वारा प्राप्त बिजली यूनिटों की मात्रा;
- (ग) पात्र उपभोक्ता द्वारा बिल के भुगतान के लिए बिजली यूनिटों की निवल मात्रा; तथा
- (घ) अगली बिलिंग अवधि में अग्रणीत बिजली यूनिटों की निवल मात्रा (यदि अधिशेष हो):

बशर्ते, यदि भेजी गई बिजली की मात्रा बिलिंग अवधि के दौरान प्राप्त की गई मात्रा से अधिक है, तो अतिरिक्त मात्रा को अगली बिलिंग अवधि के लिए बिजली की जमा यूनिटों के रूप में अग्रणीत किया जाएगा;

बशर्ते आगे यह कि किसी भी बिलिंग अवधि के दौरान पात्र उपभोक्ता द्वारा प्राप्त बिजली यूनिटों की मात्रा भेजी गई मात्रा से अधिक हो, तो वितरण लाइसेंसधारी क्रेडिट यूनिटों को समायोजित करने के बाद बिजली की निवल खपत के लिए अपना बीजक / बिल प्रस्तुत करेगा।

- 11.3 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बिजली की समायोजित न की गई निवल क्रेडिट यूनिटों को राजसहायता और त्वरित मूल्यहास, जो भी कम हो, पर विचार किए बिना उस वर्ष के लिए निर्धारित संबंधित वितरण लाइसेंसधारी या फीड-इन-टैरिफ की औसत बिजली खरीद लागत पर वितरण लाइसेंसधारी द्वारा खरीदी गई यूनिटों के रूप में माना जाएगा:

बशर्ते, प्रत्येक निपटान अवधि की शुरुआत में, अग्रणीत इंजेक्ट की गई बिजली की संचयी मात्रा को फिर से शून्य पर सेट किया जाएगा।

- 11.4 यदि पात्र उपभोक्ता टाइम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ के दायरे में आता है, तो किसी भी टाइम ब्लॉक में बिजली की खपत, अर्थात् पीक आवर्स, ऑफ-पीक आवर्स इत्यादि की सबसे पहले उसी टाइम ब्लॉक में दी गई बिजली की मात्रा से प्रतिपूर्ति की जाएगी:

बशर्ते कि किसी बिलिंग चक्र में किसी अन्य टाइम ब्लॉक में खपत के अलावा किसी अतिरिक्त इंजेक्शन का लेखा-जोखा रखा जाएगा जैसे कि ऑफ-पीक घंटों के दौरान अतिरिक्त इंजेक्शन के दौरान रखा गया था।

- 11.5 वितरण लाइसेंसधारी विनियम 11.3 में निर्दिष्ट अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा खरीदी गई अतिरिक्त सौर ऊर्जा के लिए 30 अप्रैल तक पात्र उपभोक्ता को देय राशि की गणना करेगा, और अगले वर्ष की 31 मई तक पात्र उपभोक्ता को राशि का भुगतान करेगा।

- 11.6 पात्र उपभोक्ता वितरण लाइसेंसधारी के साथ बिलिंग से संबंधित किसी भी विवाद को शिकायत के निवारण के लिए अधिनियम की धारा (5) से (7) के अंतर्गत आयोग द्वारा निर्दिष्ट तंत्र को भेजेगा।

- 11.7 समूह नेट मीटरिंग के मामले में, बिलिंग और ऊर्जा लेखा-जोखा का निम्नानुसार निपटान किया जाएगा:

(क) जहां किसी भी बिलिंग अवधि के दौरान यूनिटों का निर्यात सौर परियोजना स्थित कनेक्शन पर यूनिटों को भेजने से अधिक होता है, तो उपभोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई प्राथमिकता सूची में दर्शाए गए क्रम के अनुसार ऐसे ग्रिड में भेजी गई अधिशेष यूनिटों को सेवा कनेक्शन(नों) के मासिक बिल में खपत ऊर्जा के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। समायोजन के लिए प्राथमिकता का क्रम सेवा कनेक्शन, जहां सौर परियोजना स्थित है, के साथ शुरू हुआ माना जाएगा;

(ख) अन्य बिजली कनेक्शन(नों) की शेष अतिरिक्त ऊर्जा के समायोजन की प्राथमिकता सूची को उपभोक्ता द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में दो माह की अग्रिम सूचना के साथ संशोधित किया जा सकता है;

(ग) किसी भी टाइम ब्लॉक में बिजली की खपत (जैसे पीक ऑवर्स, ऑफ-पीक ऑवर्स आदि) की उपभोक्ता के उसी बिलिंग चक्र में सौर परियोजना के समान टाइम ब्लॉक में बिजली उत्पादन से प्रतिपूर्ति की जाएगी जहां सौर परियोजना स्थित है, और प्रदान की गई किसी भी अधिशेष यूनिट को उपभोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई प्राथमिकता सूची में दर्शाए अनुसार क्रम में सेवा कनेक्शन (मासिक) के मासिक बिल में खपत की गई ऊर्जा के खिलाफ समायोजित किया जाएगा, जैसे कि अधिशेष उत्पादन / ऊर्जा क्रेडिट ऑफ पीक टाइम ब्लॉक के दौरान

टाइम ऑफ डे (टीओडी) उपभोक्ताओं और गैर-टीओडी उपभोक्ता के लिए सामान्य टाइम ब्लॉक के लिए हुआ हो;

- (घ) जहां किसी भी बिलिंग अवधि के दौरान, नॉन-टीओडी टैरिफ या टीओडी टैरिफ में यूनितों का अग्रोषण बिजली सेवा कनेक्शन(नों) द्वारा यूनितों की प्राप्ति से अधिक हो जाता है, वहां उपभोक्ता द्वारा प्रदान की गई ऐसी अधिशेष यूनितों को आगे ले जाया जाएगा तथा इन्हें ऊर्जा ऋण के रूप में बिलिंग अवधि और प्राथमिकता सूची में दर्शाए गए क्रम में निपटान अवधि के भीतर बाद की बिलिंग अवधि में खपत ऊर्जा के खिलाफ समायोजन के लिए उपभोक्ता द्वारा प्रेषित ऊर्जा के रूप में दिखाया जाएगा;
- (ड.) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बिजली की समायोजित न की गई निवल क्रेडिट यूनितों के लिए सौर परियोजना के कनेक्शन हेतु खंड 11.3 के प्रावधान लागू होंगे।

11.8 वर्चुअल नेट मीटरिंग के मामले में, बिलिंग और ऊर्जा लेखा-जोखा निम्नानुसार निपटाया जाएगा:

- (क) उपभोक्ता द्वारा स्टाम्प पेपर पर किए गए करार / एमओयू में दर्शाई गई सौर परियोजना से खरीदी गई ऊर्जा के अनुपात के अनुसार सौर परियोजना से उत्पन्न ऊर्जा को प्रत्येक भागीदार उपभोक्ता(ओं) के मासिक बिजली बिल में जमा किया जाएगा, और उसे वितरण लाइसेंसधारी को प्रस्तुत किया जाएगा;
- (ख) उपभोक्ता(ओं) द्वारा वित्तीय वर्ष की शुरुआत में दो महीने का अग्रिम नोटिस देकर करार / एमओयू में दर्शाई गई सौर परियोजना से खरीदी गई ऊर्जा के अनुपात के अनुसार स्टाम्प पेपर पर नया करार / एमओयू प्रस्तुत करके सौर परियोजना से बिजली के क्रेडिट की हिस्सेदारी को बदलने का विकल्प होगा;
- (ग) जहां किसी भी भागीदार उपभोक्ता का सेवा कनेक्शन किसी भी विद्यमान कानून के तहत किसी भी कारण से काट दिया जाता है, तो उस उपभोक्ता की समायोजित न की गई यूनितों/ शेष क्रेडिट का भुगतान वितरण लाइसेंसधारी द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाएगा;
- (घ) किसी भी टाइम ब्लॉक में बिजली की खपत (जैसे पीक ऑवर्स, ऑफ-पीक ऑवर्स, आदि) को सबसे पहले भागीदार उपभोक्ता(ओं) के उसी बिलिंग चक्र में समान टाइम ब्लॉकों में बिजली उत्पादन से प्रतिपूर्ति की जाएगी। बिलिंग चक्र में किसी भी टाइम ब्लॉक में खपत से अधिक अधिशेष उत्पादन का लेखा-जोखा रखा जाएगा जैसे कि ऑफ-पीक टाइम ब्लॉक के दौरान अधिशेष उत्पादन / ऊर्जा क्रेडिट हुई हो;
- (ड.) जहां किसी भी भागीदार उपभोक्ता की किसी भी बिलिंग अवधि के दौरान जमा की गई यूनितें उस उपभोक्ता द्वारा यूनितों की प्राप्ति से अधिक हो जाती हैं, तो ऐसी अतिरिक्त जमा की गई यूनितों को प्रत्येक भागीदार उपभोक्ता(ओं) की निपटान अवधि में उपभोग की गई ऊर्जा से समायोजित करने के लिए ऊर्जा क्रेडिट के रूप में बाद की बिलिंग अवधि में जोड़ा जाएगा
- (च) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बिजली की समायोजित न की गई निवल क्रेडिट यूनितों के लिए, प्रत्येक भागीदार उपभोक्ता पर खंड 11.3 के प्रावधान लागू होंगे।
- (छ) भागीदार उपभोक्ता(ओं) के बीच वर्चुअल नेट मीटरिंग के तहत सौर परियोजना की स्थापना और प्रचालन के लिए वाणिज्यिक समझौते पर परस्पर सहमति होगी और वितरण लाइसेंसधारी की ऐसे वाणिज्यिक समझौते में कोई भूमिका नहीं होगी

12. दंड या क्षतिपूर्ति – मीटर प्रणाली में खराबी होना

मीटर प्रणाली में खराब होने पर, वितरण लाइसेंसधारी के लिए दंड या मुआवजे के प्रावधान गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों (वितरण लाइसेंस के लिए निष्पादन मानक) विनियम, 2015 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के प्रावधानों के अनुसार होंगे।

13. विलंब से किए गए भुगतान पर सरचार्ज

यदि संबंधित वर्ष की 31 मई के बाद उपर्युक्त विनियम 11.3 के तहत वितरण लाइसेंसधारी द्वारा भुगतान में विलंब किया जाता है, तो वितरण लाइसेंसधारी पर 31 मई से अधिक के विलंब के लिए 1.25% प्रति माह की दर से विलंब से भुगतान करने पर सरचार्ज लगाया जाएगा।

14. सौर ऊर्जा को जमा करने के लिए शुल्क

सौर परियोजनाएं, चाहे स्व-स्वामित्व या इन विनियमों के तहत स्थापित तृतीय पक्ष वाली हों, को बिजली जमा करने के संबंध में प्रभार से छूट दी जाएगी।

15. आरईसी तंत्र के तहत भाग लेने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद दायित्व और पात्रता

15.1 यदि नेट मीटरिंग समझौते के तहत सौर परियोजना से पात्र उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली बिजली की मात्रा सौर आरपीओ के उनके अनुपालन के लिए अर्हता प्राप्त होगी, बशर्ते कि ऐसा उपभोक्ता एक प्रतिबद्ध यूनिट है;

15.2 नेट मीटरिंग समझौते के तहत स्वामित्व वाली और स्थापित सौर परियोजना से पात्र उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई बिजली की मात्रा वितरण लाइसेंसधारी के सौर आरपीओ को पूरा करने के लिए अर्हता होगी, बशर्ते ऐसा उपभोक्ता कोई प्रतिबद्ध यूनिट न हो;

बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारी पात्र उपभोक्ता की सहमति से अतिरिक्त मीटरिंग सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, जैसा कि पात्र उपभोक्ता द्वारा उत्पादित और उपभोग की गई सौर ऊर्जा का लेख-जोखा रखने के लिए आवश्यक हो सकता है।

15.3 विनियम लाइसेंस 11.3 के प्रावधानों के तहत वितरण लाइसेंसधारी द्वारा खरीदी गई सौर ऊर्जा की समायोजित न की गई अधिशेष यूनिटें भी अपने सौर आरपीओ को पूरा करने के लिए पात्र होंगी।

15.4 इन विनियमों के तहत नेट मीटरिंग समझौते में किसी पात्र उपभोक्ता द्वारा उत्पादित सौर ऊर्जा आरईसी के लिए पात्र नहीं होगी।

15.5 कैप्टिव उपयोग के लिए उत्पादित सौर ऊर्जा भी आरपीओ को पूरा करने के लिए पात्र होगी।

16. आवेदन और पंजीकरण की प्रक्रिया

16.1 पात्र उपभोक्ता एक-बारगी, 500 (पांच सौ) रुपए या ऐसी अन्य राशि जो समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित की जा सकती है, के अप्रतिदेय पंजीकरण शुल्क सहित लाइसेंसधारी के वितरण नेटवर्क के साथ सौर परियोजना की कनेक्टिविटी के लिए संबंधित वितरण लाइसेंसधारी को आवेदन करेगा; और वितरण लाइसेंसधारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति को स्वीकार करेगा:

बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारी इन विनियमों के प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर ऐसा आवेदन करने और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से शुल्क के भुगतान का विकल्प प्रदान करेगा।

16.2 वितरण लाइसेंसधारी के नेटवर्क के साथ सौर परियोजना की कनेक्टिविटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया इन विनियमों के अनुबंध-1 में दी गई है। पात्र उपभोक्ता द्वारा संबंधित लाइसेंसधारी को जांच-सूची सहित किए जाने वाले आवेदन तथा मॉडल आवेदन फॉर्म अनुबंध-2 पर उपलब्ध हैं।

- 16.3 किसी विशेष वितरण ट्रांसफार्मर से कनेक्शन के लिए सौर परियोजना स्थापित करने के किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, वितरण लाइसेंसधारी आवेदक को 15 दिनों के भीतर या ऐसी किसी लंबी अवधि के भीतर कमियों में यथावश्यक सुधार करने के लिए नोटिस देगा:
- बशर्ते यदि वितरण ट्रांसफार्मर की अपर्याप्त क्षमता के कारण मंजूरी नहीं दी जा सकती है, तो ऐसी क्षमता उपलब्ध होने के बाद, उपभोक्ता इसका विकल्प चुनता है तो आवेदन को उसकी तारीख की वरिष्ठता के क्रम में विचार किया जा सकता है।
- 16.4 वितरण लाइसेंसधारी सौर नेट मीटरिंग संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए एक वेब-आधारित प्रोसेसिंग प्रणाली लागू करेगा, जिसे इन विनियमों की अधिसूचना के तीन महीने के भीतर स्थापित किया जाएगा।
- 16.5 राज्य नोडल एजेंसी / वितरण लाइसेंसधारी द्वारा या एमएनआरई द्वारा राजसहायता से संबंधित मामलों को समय-समय पर अनुमोदित किया जाएगा।
- 16.6 वितरण लाइसेंसधारी वर्ष में जोड़ी गई सौर परियोजनाओं से संबंधित जानकारी, प्रत्येक सौर परियोजना की रेटिंग और अन्य प्रासंगिक सूचना को प्रत्येक वर्ष अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। अगले वर्ष की 30 अप्रैल तक की सूचना आयोग को भी प्रस्तुत की जाएगी।
- 16.7 वितरण लाइसेंसधारी से संबंधित मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा 500 केडब्ल्यूपी से अधिक क्षमता वाले संयंत्रों की जाँच की जाएगी।

विविध

17. छूट देने का अधिकार

आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जिसके कारणों को लिखित में दर्ज किया जाएगा, और इससे प्रभावित होने वाले पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष पहले दिए गए आवेदन पर छूट दे सकता है।

18. संशोधन करने का अधिकार

आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में कुछ जोड़ सकता है, अंतर, बदलाव, निलंबन, आशोधन, संशोधन या निरस्त कर सकता है।

19. निरसन और बचत

इस नेट मीटरिंग विनियम, 2019 में अन्यथा प्रदान की गई बचत, जेईआरसी (ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड और सोलर रूफटॉप एंड मीटरिंग) विनियम, 2015 में समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित एतद्वारा निरस्त की जाती है:

बशर्ते कि इन विनियमों की अधिसूचना होने तक की अवधि से संबंधित समीक्षा मामलों सहित सभी उद्देश्यों के लिए, नेट मीटरिंग से संबंधित मुद्दों को जेईआरसी (ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड और सोलर रूफटॉप और मीटरिंग विनियम), 2015 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित किया जाएगा। जिसमें यथा लागू संशोधन भी शामिल होंगे।

20. कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार

इन विनियमों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने से उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई के मामले में, आयोग स्वतः संज्ञान लेते हुए या किसी याचिका पर आदेश देकर ऐसे प्रावधान कर सकता है, जो अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल न हों और जो आवश्यक प्रतीत हों।

राकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./149/19]

अनुलग्नक क: वोल्टेज स्तर हार्मोनिक्स, मानक: हार्मोनिक्स और इन्वर्टर

हार्मोनिक्स आईईईईई 519 मानकों के अनुसार होगा। अनुमेय व्यक्तिगत हार्मोनिक्स स्तर (वोल्टेज और वर्तमान हार्मोनिक्स दोनों के लिए) 3% से कम और ग्रिड सिस्टम के वोल्टेज और वर्तमान हार्मोनिक्स दोनों के लिए कुल हार्मोनिक्स विरूपण (टीएचडी) 5% से कम होगा।

इन्वर्टर मानक

इन्वर्टर को दक्षता और माप के लिए आईईसी 61683/ आईएस 61683 का अनुपालन करना चाहिए और पर्यावरण परीक्षण के लिए आईईसी 60068-2 (1, 2, 14, 30)/ समकक्ष बीआईएस मानक का पालन करना चाहिए। इन्वर्टर को वोल्टेज की स्थिति की निरंतर निगरानी करनी चाहिए और कम वोल्टेज (या) अधिक वोल्टेज के तहत ग्रिड की विफलता की स्थिति में, इन्वर्टर में दिए गए सर्किट ब्रेकर/ ऑटो स्विच द्वारा सौर संयंत्र को डिस्कनेक्ट किया जाना चाहिए।

विभिन्न अन्य मानक			
क्र.सं.	मापदंड	संदर्भ	आवश्यकताएँ
1.	सेवा की समग्र शर्तें	राज्य वितरण / आपूर्ति कोड	राज्य वितरण / आपूर्ति कोड
2.	समग्र ग्रिड मानक	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम 2010	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम 2010
3.	उपकरण	बीआईएस / आईईसी / आईईईईई	बीआईएस / आईईसी / आईईईईई
4.	मीटर	समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की स्थापना और संचालन) विनियम 2006	समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की स्थापना और संचालन) विनियम 2006
5.	सुरक्षा और आपूर्ति	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010

विभिन्न अन्य मानक			
क्र.सं.	मापदंड	संदर्भ	आवश्यकताएँ
6.	हार्मोनिक आवश्यकताएँ हार्मोनिक करंट	आईईईई 519 सीईए (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2013	आईईईई 519 सीईए (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2013
7.	समकालीन	आईईईई 519 सीईए (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2013	सौर संयंत्र ग्रिड फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन उपकरण से लैस होना चाहिए। जब कभी उत्पादन स्टेशन को बिजली व्यवस्था के साथ सिंक्रोनाइज़ किया जाए, इसके कनेक्शन बिंदु में +/- 5% से अधिक वोल्टेज का उतार-चढ़ाव नहीं होना चाहिए।
8.	वोल्टेज	आईईईई 519 सीईए (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2013	वोल्टेज-ऑपरेटिंग विंडो से ट्रिपिंग न्यूनतम होनी चाहिए और यह नाममात्र जुड़े वोल्टेज के 80% से 110% की प्रचालन रेंज के अंतर्गत होनी चाहिए। 2 सेकंड के समाशोधन समय के बाद, सौर संयंत्र को ग्रिड से स्वयं अलग हो जाना चाहिए।
9.	झिलमिलाहट	आईईईई 519 सीईए (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2013	सौर संयंत्र के प्रचालन में आईईसी 61000 मानकों या अन्य समकक्ष भारतीय मानकों, यदि कोई हो, में उल्लिखित सीमा से अधिक वोल्टेज झिलमिलाहट नहीं होनी चाहिए।
10.	आवृत्ति	आईईईई 519 सीईए (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2013	जब वितरण प्रणाली की आवृत्ति निर्दिष्ट शर्तों (ऊपरी ओर 50.5 हर्ट्ज और निचली ओर 47.5 हर्ट्ज) से अधिक हो जाती है, तो 0.2 सेकंड के अनुमोदन समय से अधिक और कम फ्रीक्वेंसी ट्रिप फंक्शंस होने चाहिए।
11.	डीसी इंजेक्शन	आईईईई 519 सीईए (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2013	आंतरिक-कनेक्शन बिंदु पर या किसी भी प्रचालन स्थिति में वितरण प्रणाली में रेटेड इन्वर्टर आउटपुट करंट के 1% की पूर्ण दर आउटपुट के 0.5% से अधिक डीसी पावर नहीं दी जानी चाहिए।

विभिन्न अन्य मानक			
क्र.सं.	मापदंड	संदर्भ	आवश्यकताएँ
12.	विद्युत कारक	आईईईई 519 सीईए (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2013	जबकि इन्वर्टर का आउटपुट 50% से अधिक है, 0.9 से अधिक का लैगिंग विद्युत कारक संचालित होना चाहिए।
13.	आईलैंडिंग और डिस्कनेक्शन	आईईईई 519 सीईए (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2013	खराबी होने, वोल्टेज या आवृत्ति में भिन्नता होने की स्थिति में सौर परियोजना को निर्धारित अवधि पर आईईसी मानक के भीतर आईलैंड/डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए।
14.	ओवरलोड और ओवरहीट	आईईईई 519 सीईए (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2013	इन्वर्टर में ओवरलोड या ओवरहीटिंग होने के मामले में स्वतः स्विच करने की सुविधा होनी चाहिए और सामान्य स्थिति बहाल होने पर पुनः प्रारंभ होना चाहिए।
15.	समानांतर उपकरण	आईईईई 519 सीईए (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2013	सौर प्रणाली के समानांतर उपकरण में इंटर-कनेक्शन बिंदु पर 220% सामान्य वोल्टेज को सहन करने में सक्षम होना चाहिए।
16.	नोट: मानक / विनिर्देश वितरण लाइसेंसधारी और संबंधित एजेंसियों द्वारा समय-समय पर संशोधन / सुधार के अधीन होंगे।		

अनुबंध-I वितरण लाइसेंसधारी नेटवर्क के साथ सौर परियोजना की कनेक्टिविटी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

- क) यदि कोई उपभोक्ता सौर परियोजना स्थापित करने का इच्छुक है या जिसने पहले से ही ऐसी प्रणाली स्थापित कर ली है, संबंधित वितरण लाइसेंसधारी की वेबसाइट से आवेदन-पत्र डाउनलोड कर सकता है, और इसे परियोजना के तकनीकी विवरण के साथ विधिवत भरे वितरण लाइसेंसधारी के संबंधित कार्यालय में पंजीकरण शुल्क के साथ प्रस्तुत कर सकता है या ऑनलाइन आवेदन और शुल्क का भुगतान कर सकता है।
- ख) वितरण लाइसेंसधारी आवेदन को पंजीकृत करेगा और तीन कार्य दिवसों के भीतर इसकी रसीद प्रदान करेगा; या उस अवधि के भीतर आवेदक को किसी कमी या अपूर्णता की सूचना देगा।
- ग) वितरण लाइसेंसधारी निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करते हुए आवेदन के पंजीकरण से 15 कार्य दिवसों के भीतर एक तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन करेगा।
- एसी वोल्टेज स्तर जिस पर कनेक्टिविटी मांगी जाती है;

6. मौजूदा बिजली कनेक्शन की श्रेणी :
7. उपभोक्ता संख्या :
8. स्वीकृत लोड / संविदा मांग :
(केडब्ल्यू / केवीए / एचपी में)।
9. वोल्टेज जिस पर मौजूदा आपूर्ति की गई है :
(वोल्ट में)।
10. स्थापित की जाने वाली रूफ-टॉप सौर पीवी
प्रणाली (केडब्ल्यू में) की प्रस्तावित एसी क्षमता :
11. सौर इन्वर्टर के आउटपुट में वोल्टेज :
(वोल्ट में)।
12. प्रदत्त पंजीकरण शुल्क का विवरण :
(₹.500/-)

दिनांक: _____

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदन संख्या _____

प्राप्ति की तारीख _____

आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची

1. भुगतान किए गए बिजली बिल की नवीनतम प्रति।
2. पार्टनरशिप फर्मों के मामले में हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में जनरल पॉवर ऑफ अटॉर्नी; संकल्प की प्रमाणित सत्यापित प्रतिलिपि, कंपनियों के मामले में निदेशक मंडल द्वारा पारित (जैसा लागू हो) संबंधित वितरण लाइसेंसधारी से निपटने के लिए हस्ताक्षरकर्ता को प्राधिकृत करना।
3. पीवी मांड्यूल, इन्वर्टर और सिस्टम के अन्य उपकरणों का तकनीकी विवरण प्रस्तावित होना चाहिए।
4. पंजीकरण शुल्क के भुगतान का प्रमाण।

अभिस्वीकृति

.....केडब्ल्यू क्षमता वाली सौर परियोजना की कनेक्टिविटी/ स्थापना के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसारसे एक आवेदन प्राप्त हुआ है:-

प्राप्ति की तारीख	आवेदक का नाम	आवेदन संख्या	मौजूदा उपभोक्ता नं.	रूफ-टॉप सौर पीवी प्रणाली की क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

दिनांक:

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम)

अनुबंध-3 मॉडल नेट मीटरिंग कनेक्शन समझौता

यह समझौता प्रथम पक्षकार के रूप में पात्र उपभोक्ता (नाम) _____, जिसका परिसर _____ (पता) पर है और उपभोक्ता सं. _____ है

और

इस समझौते के दूसरे पक्षकार के रूप में वितरण लाइसेंसधारी _____ (इसके बाद 'लाइसेंसधारी' के रूप में संदर्भित), जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ (पता) पर है, के बीच _____ (तारीख) _____ (महीना) _____ (वर्ष) को _____ (स्थान) पर किया जाता है।

जबकि, पात्र उपभोक्ता ने संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नेट मीटरिंग के आधार पर सौर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणाली) विनियम, 2019 (इसके बाद 'नेट मीटरिंग विनियम' के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के अंतर्गत नेट मीटरिंग व्यवस्था के अनुमोदन के लिए लाइसेंसधारी को आवेदन किया गया है और लाइसेंसधारी के वितरण नेटवर्क से इसकी कनेक्टिविटी की मांग की है;

और जबकि, लाइसेंसधारी _____ किलोवाट की सौर परियोजना से उत्पन्न बिजली के इंजेक्शन के लिए पात्र उपभोक्ता को नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है;

दोनों पक्ष एतद्वारा निम्नानुसार सहमत हैं:-

1. पात्रता

सौर परियोजना वितरण नेटवर्क में एकीकृत होने के लिए लागू मानदंडों को पूरा करती है, और पात्र उपभोक्ता इस समझौते की अवधि के अनुसार परियोजना को बनाए रखेगा।

2. तकनीकी और इंटर-कनेक्शन आवश्यकताएँ

2.1 मीटरिंग की व्यवस्था और लाइसेंसधारी के नेटवर्क के साथ सौर परियोजना का अंतर-कनेक्शन नेट मीटरिंग विनियमों के प्रावधानों तथा वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी और मीटर की स्थापना और संचालन के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तकनीकी मानकों और मानदंडों के अनुसार होगा।

2.2 पात्र उपभोक्ता सहमति देता है, कि वह लाइसेंसधारी के नेटवर्क के लिए सौर परियोजना के कनेक्शन से पहले एक पृथक उपकरण (इन्वर्टर में स्वचालित एवं इनबिल्ट दोनों तथा बाहरी मैनुअल रिले) स्थापित करेगा; और आवश्यकता पड़ने पर लाइसेंसधारी को वितरण नेटवर्क की मरम्मत और रखरखाव के लिए इस तक पहुंच की अनुमति होगी।

2.3 लाइसेंसधारक इंटरफ़ेस/अंतर-कनेक्शन बिंदु और मीटरिंग बिंदु को निर्दिष्ट करेगा।

2.4 पात्र उपभोक्ता सभी प्रासंगिक डेटा, जैसे वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, सर्किट ब्रेकर, अपने सिस्टम में आइसोलेटर की स्थिति, जब कभी लाइसेंसकर्ता को इसकी आवश्यकता हो, प्रस्तुत करेगा।

3. सुरक्षा

3.1 लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली से जुड़े उपकरण प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय (आईईईई / आईईसी) या भारतीय मानक (बीआईएस), जैसा भी मामला हो, के अनुरूप होंगे तथा सुरक्षा एवं बिजली की आपूर्ति की दृष्टि से विद्युत उपकरण की स्थापना के बारे में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।

3.2 सौर परियोजना का डिजाइन, स्थापना, रखरखाव और संचालन, रूफ-टॉप सोलर पीवी प्रणाली और साथ ही लाइसेंसधारी नेटवर्क की सुरक्षा अनुकूल तरीके से किया जाएगा।

3.3 यदि, किसी भी समय, लाइसेंसधारी यह निर्धारित करता है कि पात्र उपभोक्ता की सौर परियोजना लाइसेंसधारी के अन्य उपभोक्ताओं या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है और / या उसका कारण बन सकती है, तो पात्र उपभोक्ता लाइसेंसधारी के निर्देश पर सौर परियोजना को वितरण नेटवर्क से हटा देगा, और पुनः कनेक्शन करने से पहले अपने खर्च पर उसमें सुधार करेगा।

3.4 लाइसेंसधारी किसी भी दुर्घटना के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप मानव या जानवरों को चोट लगी हो या जो गिड की आपूर्ति बंद होने पर सौर परियोजना की बैक-फीडिंग के कारण संपत्ति को नुकसान हुआ हो। ऐसी दुर्घटना को रोकने के लिए लाइसेंसधारी किसी भी समय ऐसी आकस्मिकता की स्थिति में स्थापना को डिस्कनेक्ट कर सकता है।

4. अन्य मंजूरी और स्वीकृति

पात्र उपभोक्ता सौर परियोजना को वितरण नेटवर्क से जोड़ने से पहले विद्युत निरीक्षक या नगरपालिका या अन्य अधिकारियों से यथावश्यक वैधानिक अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करेगा।

5. समझौते की अवधि, और समाप्ति

यह समझौता 25 वर्षों के लिए होगा, लेकिन इसे समय से पहले भी समाप्त किया जा सकता है

क) आपसी सहमति से; या

ख) पात्र उपभोक्ता द्वारा, लाइसेंसधारी को 30 दिनों का नोटिस देकर;

ग) लाइसेंसधारी द्वारा, 30 दिनों का नोटिस देकर, यदि पात्र उपभोक्ता इस समझौते या नेट मीटरिंग विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और ऐसे उल्लंघन का नोटिस प्राप्त होने पर या अन्य कोई वैध कारण,

जिसे लाइसेंसधारी द्वारा लिखित रूप में सूचित किया गया हो, 30 दिनों के भीतर या प्रदान की गई ऐसी अन्य उचित अवधि के भीतर ऐसे उल्लंघन में सुधार करने के लिए उपाय नहीं करता है।

6. पहुंच और डिस्कनेक्शन

6.1 पात्र उपभोक्ता सौर परियोजना के स्वचालित और मैन्युअल दोनों प्रकार के मीटरिंग उपकरण और डिस्कनेक्ट करने वाले उपकरणों को लाइसेंसधारी तक पहुंच प्रदान करेगा।

6.2 यदि किसी आकस्मिक या अनुपयोग काल की स्थिति में, लाइसेंसधारी सौर परियोजना के डिस्कनेक्ट किए गए स्वचालित और मैन्युअल, दोनों उपकरणों तक पहुँच नहीं सकता है, तो वह परिसर में बिजली की आपूर्ति को बंद कर सकता है।

6.3 खण्ड 5 के तहत इस समझौते को समाप्त करने पर, पात्र उपभोक्ता लाइसेंसधारी के नेटवर्क से सौर परियोजना को बंद कर देगा।

7. देयताएं

7.1 सौर परियोजना की स्थापना, वितरण नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी और प्रणाली के संचालन के दौरान पार्टी की लापरवाही या कदाचार के प्रतिकूल प्रभावों के लिए पार्टियां एक-दूसरे को क्षतिपूर्ति देंगी।

7.2 पार्टियां लाभ या राजस्व हानि, व्यापार में व्यवधान के नुकसान, अनुबंध या साख हानि, या अप्रत्यक्ष, परिणामी, आकस्मिक या विशेष नुकसान, जिसके लिए पार्टियां एक-दूसरे के लिए उत्तरदायी नहीं होंगी, लेकिन यह केवल दंडात्मक या असाधारण क्षति तक सीमित नहीं हैं, चाहे इनमें से कोई भी देनदारी अनुबंध से उत्पन्न नुकसान या क्षति, या अन्यथा उत्पन्न होती हैं।

8. वाणिज्यिक निपटान

8.1 इस समझौते के तहत वाणिज्यिक बंदोबस्ती नेट मीटरिंग विनियमों के अनुसार होंगी।

8.2 यदि किसी उपभोक्ता की सौर परियोजना ग्रिड / नेटवर्क में बिजली आपूर्ति की असफलता के कारण लाइसेंसधारी के नेटवर्क में उत्पादित अधिशेष बिजली को इंजेक्ट करने में असमर्थ रहता है, तो लाइसेंसधारी पात्र उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

8.3 यदि मौजूदा मीटरिंग प्रणाली नेट मीटरिंग विनियमों के अनुरूप नहीं है, तो इसे द्वि-आयामी मीटर (संपूर्ण करंट/ सीटी संचालित) से बदला जाएगा, और सौर ऊर्जा उत्पादन को मापने के लिए एक अलग उत्पादन मीटर प्रदान किया जा सकता है। द्वि-आयामी मीटर (संपूर्ण करंट / सीटी संचालित) को ऊर्जा प्रेषित और प्राप्त करने की रिकॉर्डिंग के लिए लाइसेंसधारी नेटवर्क के अंतर-कनेक्शन बिंदु पर स्थापित किया जाएगा।

8.4 बहु-आयामी और द्वि-आयामी मीटर आस-पास अलग-अलग मीटर बक्से में लगाए जाएंगे।

8.5 लाइसेंसधारी मीटर रीडिंग की निर्धारित तारीख को निवल मीटर ऊर्जा के लिए मासिक बिजली बिल जारी करेगा। यदि प्रेषित ऊर्जा प्राप्त की गई ऊर्जा से अधिक हो जाती है, तो लाइसेंसधारी निवल मीटरिंग विनियम, 2019 में निर्दिष्ट विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रेषित निवल ऊर्जा दर्शाएगा। यदि प्रेषित ऊर्जा प्राप्त की गई ऊर्जा से कम है, तो पात्र उपभोक्ता वितरण लाइसेंसधारी को, जिससे वह संबंधित है, उपभोक्ता श्रेणी के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित प्रचलित टैरिफ पर आयातित निवल ऊर्जा के लिए वितरण लाइसेंसधारी को भुगतान करेगा।

9. कनेक्शन लागत

पात्र उपभोक्ता नेट मीटरिंग के बाद नेट मीटरिंग व्यवस्था लागत को छोड़कर, सौर परियोजना की स्थापना से संबंधित सभी लागतों को वहन करेगा।

10. विवाद समाधान

10.1 इस समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का समाधान दोनों पक्षों द्वारा तुरंत, सद्भावना से और न्यायसंगत तरीके द्वारा हल किया जाएगा।

10.2 बिलिंग / भुगतान और मीटरिंग से संबंधित विवादों का उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) और उसके बाद सीजीआरएफ में समाधान न होने की स्थिति में उन्हें अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा 6 के तहत नियुक्त लोकपाल को भेजा जाएगा।

इसके गवाह के रूप में (नाम) _____ के लिए और उनकी ओर से

पात्र उपभोक्ता (नाम) _____ के लिए और उनकी ओर से

(लाइसेंसधारी) इस समझौते पर सहमति देते हैं।

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(FOR THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES)

NOTIFICATION

Gurugram, the 24th July, 2019

No. JERC-24/2019.—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (1) of Section 181 and Clauses (zd), (ze) and (zf) of Sub-Section (2) of Section 181, read with Sections 42, 61(h), 66, 83 and 86(1)(e) of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union Territories) hereby makes the following Regulations, namely:

1. Short Title, Commencement and extent

- 1.1. These Regulations shall be called the “Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Solar PV Grid Interactive System based on Net Metering) Regulations, 2019” (hereinafter referred to as “Net Metering Regulations, 2019”).
- 1.2. These Regulations shall come into force from the date of publication in the official gazette.
- 1.3. These Regulations shall extend to the State of Goa and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry.
- 1.4. These Regulations shall apply only to the Grid Connected Rooftop mounted, ground mounted and floating Solar Power Projects.

2. Definitions, Abbreviations and Interpretations

2.1. In these Regulations, unless the context otherwise requires:

- (1) “**Act**” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and subsequent amendments thereof;
- (2) “**Average Power Purchase Cost**” (APPC) means the Weighted Average Pooled Price of power purchase at Distribution Licensee’s periphery, as approved by the Commission in the Tariff Order of the respective year in which solar energy is generated, from all the energy suppliers on long-term, medium-term and short-term basis, but excluding energy purchased from Renewable Energy sources;
- (3) “**Authority**” means the Central Electricity Authority referred to in sub-section (1) of Section 70 of the Act;
- (4) “**Billing cycle**” means the period for which regular electricity bills as specified by the Commission, are prepared for different categories of consumers by the Licensee;
- (5) “**COD**” or “**Commercial Operation Date**” or “**Date of commercial operation**” mean the date on which generating plant is synchronised with the grid system;
- (6) “**Check Meter**” means a meter, which shall be connected to the same core of the current transformer

(CT) and voltage transformer (VT) to which Solar Energy Meter is connected and shall be used for accounting and billing of electricity in case of failure of main meter or Solar Energy Meter;

- (7) **“Commission” or “Joint Electricity Regulatory Commission” or “JERC”** means the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Puducherry and Lakshadweep referred to in sub-section (1) of Section 82 of the Act and constituted under the Act;
- (8) **“Connection Agreement”** means the net-metering inter-connection Agreement entered into between the Distribution Licensee and the Consumer;
- (9) **“Consumer”** means any person who is connected to the electricity distribution system of the Distribution Licensee or any other person engaged in the business of supplying electricity to the public, as per the Act or any other law in force as of now and includes any person whose premises are used for receiving power;
- (10) **“Consumer Grievances Redressal Forum (CGRF in brief)”** means the forum for redressal of grievance of Consumers, established under section 42(5) of the Act;
- (11) **“Contracted Load” or “Contract Demand”** means the maximum demand in kW, kVA or HP, agreed to be supplied by the Distribution Licensee and as indicated in the Agreement executed between the Licensee and the Consumer;
- (12) **“Credit Note”** means number of units (kWh) as credit in the account as surplus power exported to the grid or the banked solar units accounted at the end of financial year by the Consumer for which the Distribution Licensee shall make the payment to the Consumer as per these Regulations;
- (13) **“Distribution Licensee”** means a person granted a Licence under Section 14 (b) of the Act authorizing him to operate and maintain a distribution system and supply electricity to the consumers in his area of supply;
- (14) **“Electricity Supply Code”** means the Electricity Supply Code specified by the Commission under Section 50 of the Act and subsequent amendments thereof;
- (15) **“Eligible Consumer”** means a consumer of electricity in the area of supply of the Distribution Licensee, who uses a self-owned or third party owned solar power project, to offset part or all of the consumer's own electricity requirements;
- (16) **“Feed-in-Tariff”** means the Generic Tariff determined by the Commission for generation from Solar Photovoltaic projects for Gross Metering in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and UTs (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulations, 2019 or as amended from time to time;
- (17) **“Grid”** means the low voltage electrical network, the distribution and transmission network or the high voltage backbone system of inter-connected transmission lines, sub-stations and generating plants for sale of energy or wheeling of energy as defined in these Regulations;
- (18) **“Group Net Metering”** means an arrangement whereby surplus energy is generated and injected from a Renewable Energy System through Net Meter and the exported energy is adjusted in more than one electricity service connection(s) of the same consumer either at the same or different premise located within the same Distribution Licensee's area of supply;
- (19) **“Installed Capacity”** means the summation of the name plate capacities expressed in kWp of all the units of the Solar Project or the capacity of the Solar Project reckoned at the output terminals, approved by the Commission;
- (20) **“Interconnection Point”** means the interface point of a Solar Project with the distribution network of the Distribution Licensee at appropriate voltage level as defined in the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and UTs (Electricity Supply Code) Regulations, 2018 or as amended from time to time;
- (21) **“Invoice”** means a periodical Bill/Supplementary Bill or an Invoice/ Supplementary Invoice by the Distribution Licensee to the Consumer;
- (22) **“Month”** means English calendar month starting with 1st day/date of the month and ending with last day/date of the month. Part Month will be applicable for number of days in proportion to total number of days in the specific month;

- (23) "**Net Metering**" means an arrangement under which Solar PV System installed at Eligible Consumer's premises is delivering surplus electricity, if any, to the grid of the Distribution Licensee after off-setting the electricity supplied by the Distribution Licensee to such Eligible Consumer during the applicable billing period;
- (24) "**Net Meter**" means an appropriate bi-directional energy meter capable of recording both import from the grid and export of electricity generated at Solar Project;
- (25) "**Obligated Entity**" means the licensed Supplier of Power, Distribution Licensee(s), Captive user(s) and Open Access Consumer(s), identified under Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Procurement of Renewable Energy) Regulations, 2010 as amended from time to time and mandated under clause (e) of subsection (1) of Section 86 of the Act to fulfil the Renewable Purchase Obligations as determined by the Commission from time to time;
- (26) "**Ombudsman**" means the person appointed in accordance with Section 42 (6) read with Section 181 of the Act;
- (27) "**Open Access Consumer**" means a person permitted to use Intra-State Transmission System and / or Distribution System to receive supply of electricity from a person other than the Distribution Licensee of his area of supply, and the expression includes a Generating Company and a Licensee, who has availed of or intends to avail of Open Access;
- (28) "**Project Developer**" means the developer of the Solar Project, who shall develop such a project on his own premises or on premises taken on lease or rent;
- (29) "**Prosumer**" means a Consumer who is also a Producer of Solar Power;
- (30) "**Producer of Solar Power**" means an individual or an entity or a group of people intending to set up or who has/have set up a Solar Project for the purpose of generation of Solar power for own consumption and sale of surplus power to the Distribution Licensee;
- (31) "**Premises**" means Rooftop of a house / factory/ Ware house / Government building/ Panchayat Bhavan / Community Centre/ School/ dispensary / hospital / parking place / Bus Stand / Group Housing Society/ Market Society / market roof top / Canals / Water Reservoir/ any such place/ or vacant space and elevated area on the land, building or the Infrastructure or part or combination thereof, or the area taken on rent or on lease, or the area for the common facility in the premises of any multi-storeyed building, Group Housing Society / Residential Welfare Association / Market Welfare Association/ Industrial Welfare Group and in respect of which a separate meter or metering arrangements have been made by the Licensee for supply of electricity. The premises exclude the structures of historic significance (unless permission is taken from appropriate authority);
- (32) "**Renewable Energy Certificate (REC)**" means the certificate issued in accordance with the Regulations and the procedures approved by the Central Electricity Regulatory Commission;
- (33) "**Renewable Purchase Obligations (RPO)**" means renewable power purchase obligations;
- (34) "**Sanctioned Load**" means the load in kW, kVA or HP, which the Licensee has agreed to supply from time to time subject to the governing terms and conditions in the absence of an Agreement between the Distribution Licensee and the consumer;
- (35) "**Settlement Period**" means the period beginning from first day of April as per the English calendar year and ending with the thirty first day of March of the next year;
- (36) "**Solar Energy Meter**" means the meter used for measuring the gross solar power units generated by the Solar Project for the purpose of accounting and billing;
- (37) "**Solar Grid Inverter**" means equipment that converts the DC (direct current) power from Solar Power modules to Grid-compatible AC (alternating current) power;
- (38) "**Solar Photovoltaic Power**" means a solar photo voltaic power project that uses sunlight for direct conversion into electricity through Photo Voltaic technology based on technologies such as crystalline Silicon or thin film, etc., as approved by the Ministry of New & Renewable Energy (MNRE) from time to time;
- (39) "**Solar Project**" means a Rooftop or ground mounted or floating Photovoltaic and other small Solar Power generating station, installed that uses sunlight for its direct conversion into electricity;

- (40) **“Solar Project Developer (SPD)”** means a Consumer or an entity whose Solar Project has been granted connectivity by the Distribution Licensee;
- (41) **“Solar Power Generator (SPG)”** means anyone who has started generating solar power from the approved project;
- (42) **“State Nodal Agency”** means the agency in the concerned State or Union Territory as may be designated by the Commission to act as the agency for accreditation and recommending the renewable energy projects for registration and to undertake such functions as may be specified under clause (e) of sub-section (1) of Section 86 of the Act;
- (43) **“Supplier of Power”** means a person or an entity having licence to supply electricity to the Consumer;
- (44) **“Tariff Order”** in respect of a Licensee means the last retail Tariff Order issued by the Commission for that Licensee indicating the tariff to be charged by the Licensee from various categories of Consumers for supply of electrical energy and services;
- (45) **“Third Party Owned”** means a Solar Project owned by a Solar Project Developer that is installed on the roof or elevated structure or the Premises as defined in 1(31) above for which a commercial lease or revenue share agreement has been entered into by the Solar Project Developer with the owner;
- (46) **“Virtual Net Metering”** means an arrangement whereby entire energy generated from a Solar Project installed at Consumer premise or any other location is injected through Solar Energy Meter and the energy exported is adjusted in either one or more than one electricity service connection(s) of participating Consumer(s) located within the same Distribution Licensee’s area of supply;
- (47) **“Year” or “Financial Year”** means a period commencing on 1st April of an English calendar year and ending on 31st March of the subsequent calendar year.

2.2. **Abbreviations:** In these Regulations the following shall be interpreted as:

- i. **“EPC”** means Engineering Procurement & Construction Contractor authorized by the Distribution Licensee;
- ii. **“kWp”** means kilo Watt peak, term used as a rating of the Solar Plant;
- iii. **“MNRE”** means the Ministry of New and Renewable Energy of Government of India;

2.3. All other words and expressions used in these Regulations if not specifically defined herein above, but defined in the Act, shall have the meaning assigned to them in the Act. The other words and expressions used herein but not specifically defined in these Regulations or in the Act but defined under any other law passed by the Parliament applicable to the electricity industry in the State or Union Territory shall have the meaning assigned to them in such law.

3. Scope of Regulations and Extent of Application

- 3.1. These Regulations shall be applicable to the grid connected solar projects subject to the fulfilment of Eligibility Criteria specified in these Regulations.
- 3.2. Group Net Metering Framework shall be applicable for all Consumers..
- 3.3. Virtual Net Metering Framework shall be applicable for residential consumers, Group Housing Societies, and establishments of Government/Local Authorities.

4. Eligibility Criteria

- 4.1. Solar Projects of capacity up to 500 kWp at one premise based on the technologies approved by MNRE are eligible for connecting the project with the Grid under these Regulations. The capacity of the Solar Project to be installed under Group Net Metering or Virtual Net Metering framework shall not be less than 5 kWp and more than 500 kWp

Provided that the Solar Project of rating higher than 500 kWp can be considered by the Distribution Licensee if the distribution system remains stable with higher rating Solar Project getting connected to the grid.

- 4.2. The Eligible Consumer may install the Solar Project under these Regulations, provided the Solar Project is:
 - i. Within the permissible rated capacity as defined under these Regulations;
 - ii. Located at the Consumer’s Premises;

iii. Interconnected and operated safely in parallel with the Distribution Licensee's network.

- 4.3. Consumers will generate solar power for self-consumption and are allowed to feed the excess solar power into the grid, which shall be adjusted under Net Metering as per provisions of these Regulations.
- 4.4. The maximum Solar Power Generation capacity to be installed at any Eligible Consumer's Premises shall not exceed his Contract Demand (in kVA) or Sanctioned Load (in kW).

5. Third Party Owned Solar Project

In the third party owned Solar Project, the following conditions shall apply:

- i. The Consumer may lease out / rent the Rooftop Space/ Land/ Water bodies to a Solar Project Developer on a mutual commercial arrangement for setting up Solar Project under Net Metering framework. The Consumer will pay the Solar Project Developer for all the energy generated by the Solar Project at a mutually agreed tariff. The commercial arrangement between the Project Developer and the Prosumer will be submitted to the Distribution Licensee for records and the Distribution Licensee will not have any role in such commercial arrangement. All the provisions of Net Metering framework shall be applicable for Solar Project set up by a Solar Project Developer.
- ii. Such Solar Projects set up under these Regulations shall be exempted from Open Access restrictions and associated charges including losses.
- iii. The Distribution Licensee / Nodal Agency may explore other business models that may facilitate the proliferation of Grid connected Rooftop solar projects. For any new business model not envisaged in these Regulations, the Commission will approve the framework for such business model based on the specific Petition to be filed in this regard.

6. Solar Power Generation Capacities

- 6.1. The Distribution Licensee may undertake demand aggregation and other related activities, to promote solar power capacity in its licensed area. The Distribution Licensee may act EPC to undertake solar power development:

Provided that in case the Distribution Licensee acts EPC, the income from such activity shall be considered as "Other Income" under the provisions of the applicable Tariff Regulations.

- 6.2. The Distribution Licensee shall facilitate the Solar Project Development:

Provided that the cumulative solar capacity allowed at a particular Distribution Transformer shall not exceed 75 percent of the capacity of the Distribution Transformer:

Provided further that the Distribution Licensee may allow solar power capacity connected to a particular Distribution Transformer and feeder connected to the same exceeding 75 percent of capacity upon consideration of a detailed load study carried out by it.

- 6.3. The Distribution Licensee shall update on a yearly basis for each of the Distribution Transformers, the Distribution Transformer capacity available for connecting the Solar Projects and shall provide the information on its website, as well as to the Commission.

7. Solar Project-Types

For the purpose of these Regulations, the Commission has covered the Solar Power Projects for Prosumer, which may be roof mounted, ground mounted, floating on water bodies or installed on Elevated structures.

8. Metering Arrangement

- 8.1. The metering system shall be as per the Central Electricity Authority (Installation & Operation of Meters) Regulations, 2006, as amended from time to time.
- 8.2. Net Meter of the same accuracy class as the Consumer's meter existing before the commissioning of the Solar Project, shall be installed in replacement of existing meter:

Provided that, if the Eligible Consumer is within the ambit of Time-of-Day ("ToD") Tariff, the Net Meter installed shall be capable of recording ToD consumption and generation:

Provided further that such Meters may be provided by the Distribution Licensee or the Consumer, subject to the same being from the approved list of the suppliers:

Provided also that if the Meter is installed by the Distribution Licensee, its cost shall be recovered from the Consumer before the COD of the Project.

- 8.3. The Solar Energy Meter (a unidirectional meter) is to be installed as an integral part of the Net Metering system at the point at which the electricity is generated by the Solar Project and delivered to the main panel. The Solar Energy Meter shall have facility for recording meter readings using Meter Reading Instrument (MRI) or wireless equipment.
- 8.4. Check Meters shall be mandatory for Solar Project having capacity more than 20 kW. For installations having capacity less than or equal to 20 kW, the Check Meters would be optional:
Provided that the cost of Check Meter shall be borne by the Consumer, and such meter shall be tested and installed by the Distribution Licensee.
- 8.5. The Distribution Licensee shall be responsible for installation, testing and maintenance of the metering equipment/system and its adherence to the applicable standards and specifications.
- 8.6. The Meters installed, if arranged by the Consumer, shall be inspected, verified for the accuracy and sealed by the Distribution Licensee in the presence of the Consumer or its representative (if he chooses to be present at the time of testing).

9. Inter-connection with the Distribution Network, Standards and Safety

- 9.1. The Distribution Licensee shall ensure that the inter-connection of the Solar Project with its distribution network conforms to the specifications, standards and other provisions specified in the CEA (Technical Standard for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2013, CEA (Technical Standards for Connectivity to the Grid) Regulations, 2007 including amendments thereto, the CEA (Measures relating to Safety and Electric Supply), Regulations, 2010 including amendments thereto, the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and UTs (Electricity Supply Code) Regulations, 2018 including amendments thereto, and the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and UTs (State Grid Code) Regulations, 2010 including amendments thereto.
- 9.2. Solar Power generation with Net metering will be allowed for all the eligible Consumers of the Distribution Licensee under the jurisdiction of the Commission with/without battery back-up support:
Provided that, if an Eligible Consumer opts for connectivity with a battery back-up, the inverter shall have a separate back-up wiring to prevent the battery/ decentralized generation (DG) power from flowing into the grid in the absence of grid supply, and that an automatic as well as manual isolation switch shall also be provided.
Provided further that the Inverter shall comply with the Standards prescribed in **Annexure A**.
- 9.3. The Eligible Consumer shall be responsible for the safe operation, maintenance and rectification of any defect in the Solar Project up to the point of Net Meter, beyond which point such responsibility, including in respect of the Net Meter, shall be that of the Distribution Licensee:
Provided that the Solar Energy Meter shall be maintained by the Distribution Licensee.
- 9.4. The Eligible Consumer shall provide appropriate protection for islanding of the Solar Project from the network of the Distribution Licensee in the event of grid or supply failure.
- 9.5. The Consumer shall be solely responsible for any accident to human being/ animals whatsoever (fatal/non-fatal/departmental/non-departmental) that may occur due to back feeding from the Solar Project when the grid supply is off:
Provided that the Distribution Licensee shall have the right to disconnect the Solar Project from its distribution network at any time in the event of any threat of accident or damage from such Project to its distribution system, for maintenance of distribution system so as to avoid any accident or damage to it:
Provided further that the Eligible Consumer may use his Solar Project in islanding mode for his own consumption.
- 9.6. The Distribution Licensee and Eligible Consumer shall discharge their respective duties and responsibilities as specified in the relevant Regulations of the Central Electricity Authority.
- 9.7. HT Consumers opting for Net Metering shall not be required to provide separate connectivity for the Solar Project at HT voltage level for consumption at LT Level.

10. Communication Facilities

All grid connected Solar Projects shall have electricity meters with features to record energy for data storage for injection into the grid through Solar Energy Meter as provided under these Regulations:

Provided that all projects shall have communication port for exchanging real time information with the Distribution Licensee:

Provided further that all Meters shall have Advanced Metering Infrastructure (AMI) facility.

11. Billing, Energy Accounting and Settlement

11.1. The accounting of electricity exported from the Solar Project and imported from the Grid by the Eligible Consumer shall become effective from the date of connectivity of the Solar Project with the distribution network.

11.2. For each billing period, the Distribution Licensee shall show separately: -

- (a) the quantum of electricity Units exported by the Eligible Consumer;
- (b) the quantum of electricity Units imported by the Eligible Consumer;
- (c) the net quantum of electricity Units billed for payment by the Eligible Consumer; and
- (d) the net quantum of electricity Units carried over (if surplus) to the next billing period:

Provided that, if the quantum of electricity exported exceeds the quantum imported during the billing period, the excess quantum shall be carried forward to the next billing period as credited Units of electricity;

Provided further that, if the quantum of electricity Units imported by the Eligible Consumer during any billing period exceeds the quantum exported, the Distribution Licensee shall raise its invoice / bill for the net electricity consumption after adjusting the credited Units.

11.3. The unadjusted net credited Units of electricity as at the end of each financial year shall be considered as units purchased by the Distribution Licensee at Average Power Purchase cost of the concerned Distribution Licensee or Feed-in-Tariff determined for that Year without considering subsidy and Accelerated Depreciation, whichever is lower.

Provided that, at the beginning of each Settlement Period, the cumulative quantum of injected electricity carried forward will be re-set to zero.

11.4. In case the Eligible Consumer is within the ambit of Time of Day (ToD) tariff, the electricity consumption in any time block, i.e., peak hours, off-peak hours, etc., shall be first compensated with the quantum of electricity injected in the same time block:

Provided that any excess injection over and above the consumption in any other time block in a billing cycle shall be accounted as if the excess injection had occurred during off-peak hours.

11.5. The Distribution Licensee shall compute the amount payable to the Eligible Consumer, latest by April 30th of the following year for the excess solar energy purchased by it during the Financial year as specified in Regulation 11.3, and shall pay the amount to the eligible consumer by May 31st of the following year.

11.6. The Eligible Consumer shall have recourse, in case of any dispute with the Distribution Licensee regarding billing, to the mechanism specified by the Commission under Sections (5) to (7) of the Act for the redressal of grievances.

11.7. In case of Group Net Metering, the billing and energy accounting shall be dealt with as under:

- (a) Where the export of units during any billing period exceeds the import of units at the connection where Solar Project is located, such surplus units injected into the grid shall be adjusted against the energy consumed in the monthly bill of service connection(s) in a sequence indicated in the priority list provided by the Consumer. The sequence of priority for adjustment shall be deemed to have begun with the service connection where the Solar Project is located;
- (b) The priority list for adjustment of the balance surplus energy against other electricity connection(s) may be revised by the Consumer once at the beginning of every financial year with an advance notice of two months;
- (c) The electricity consumption in any time block (e.g., peak hours, off-peak hours, etc.) shall be first compensated with the electricity generation in the similar time blocks in the same billing cycle of the Consumer where the Solar Project is located, and any surplus units injected shall be adjusted against the energy consumed in the monthly bill of service connection(s) in a sequence indicated in the priority list provided by the Consumer, as if the surplus generation/ Energy Credits occurred during the off peak time block for Time of Day (ToD) Consumers and normal time block for Non-ToD Consumer;

- (d) Where during any billing period, the export of units either in Non-ToD Tariff or ToD Tariff exceeds the import of units by the electricity service connection(s), such surplus units injected by the Consumer shall be carried forward to the next billing period as energy credit and shown as energy exported by the Consumer for adjustment against the energy consumed in subsequent billing periods within the Settlement Period in the sequence indicated in the priority list;
- (e) For unadjusted net credited Units of electricity at the end of each financial year, the provisions of Clause 11.3 will be applicable for the connection where Solar Project is located.
- 11.8. In case of Virtual Net Metering, the billing and energy accounting shall be dealt with as under:
- (a) The energy generated from the Solar Project shall be credited in the monthly electricity bill of each participating consumer(s) as per the ratio of procurement from Solar Project indicated under the agreement/MoU entered on a stamp paper by the Consumer(s) and submitted to the Distribution Licensee;
- (b) The Consumer(s) shall have the option to change the share of credit of electricity from Solar Project by submitting a fresh Agreement/MoU on a stamp paper subject to the ratio of procurement from Solar Project indicated under the agreement/MoU entered by the Consumer(s) once at the beginning of the financial year with an advance notice of two months;
- (c) Where the service connection of any participating consumer(s) is disconnected due to any reason under any law for the time being in force, the unadjusted units/remaining credits of that consumer shall be paid by the Distribution Licensee at the end of the financial year;
- (d) The electricity consumption in any time block (e.g., peak hours, off-peak hours, etc.) shall be first compensated with the electricity generation in the similar time blocks in the same billing cycle of the participating consumer(s). Any surplus generation over consumption in any time block in a billing cycle shall be accounted as if the surplus generation/ Energy Credits occurred during the off-peak time block;
- (e) Where the units credited during any billing period of any participating Consumer exceeds the import of units by that consumer, such surplus credited units shall be carried forward in the next billing period as energy credits for adjustment against the energy consumed in subsequent billing periods within the settlement period of each participating Consumer(s);
- (f) For unadjusted net credited Units of electricity at the end of each financial year, the provisions of Clause 11.3 will be applicable for each participating Consumer(s).
- (g) The commercial arrangement for setting up and operating Solar Project under Virtual net Metering between the participating Consumer(s) will be mutually agreed and the Distribution Licensee will not have any role in such commercial arrangement.

12. Penalty or Compensation – Failure in Metering System

In case of failure of metering system, the provisions of penalty or compensation shall be as per the provisions of the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and UTs (Standards of Performance for Distribution Licensees) Regulations, 2015 for the Distribution Licensee.

13. Late Payment Surcharge

In case the payment by the Distribution Licensee under Regulation 11.3 above is delayed beyond 31st of May of that year, a Late Payment Surcharge at the rate of 1.25% per month from the delay beyond 31st May shall be levied on the Distribution Licensee.

14. Charges for Banking of Solar Power

The Solar Projects, whether self-owned or third party owned installed under these Regulations, shall be exempted from charges in respect of banking of electricity.

15. Renewable Purchase Obligation and Eligibility to Participate under REC Mechanism

- 15.1. The quantum of electricity consumed by the Eligible Consumer from the Solar Project under the Net Metering Arrangement shall qualify towards his compliance of Solar RPO, if such Consumer is an Obligated Entity.
- 15.2. The quantum of electricity consumed by the Eligible Consumer from the Solar Project owned and installed under the Net Metering arrangement shall, if such Consumer is not an Obligated Entity, qualify towards meeting the Solar RPO of the Distribution Licensee:

Provided that the Distribution Licensee shall, with the consent of the Eligible Consumer, make all the necessary arrangements, including for additional metering, as may be required for the accounting of the Solar energy generated and consumed by the Eligible Consumer.

- 15.3. The unadjusted surplus units of Solar energy purchased by the Distribution Licensee under the provisions of Regulation 11.3 shall also qualify towards meeting its Solar RPO.
- 15.4. The Solar energy generated by an Eligible Consumer in a Net Metering Arrangement under these Regulations shall not be eligible for REC.
- 15.5. The Solar Energy generated for captive use shall also qualify for meeting the RPO.

16. Procedure for Application and Registration

- 16.1. The Eligible Consumer shall apply to the concerned Distribution Licensee for connectivity of the Solar Project with the Licensee's distribution network along with one-time, non-refundable registration fee for Rs. 500 (five hundred) or such other amount as may be stipulated by the Commission from time to time; and the Distribution Licensee shall acknowledge receipt of such application:

Provided that the Distribution Licensee shall provide the option of making such application and payment of fees by electronic means online within two months from the date of publication of these Regulations.

- 16.2. The procedure for application for connectivity of a Solar Project with the network of the Distribution Licensee is set out at **Annexure 1** of these Regulations. The model Application Form, along with a checklist, for application to be made by the Eligible Consumer to the concerned Licensee is at **Annexure 2**.
- 16.3. Before rejecting any application for setting up a Solar Project for connection to a particular Distribution Transformer, the Distribution Licensee shall serve the applicant with a notice to rectify, within 15 days or such longer period as may be necessary, the deficiencies:

Provided that in case approval cannot be granted due to inadequate Distribution Transformer capacity, the application may be considered, in chronological order of date seniority and if the Consumer so opts, after such capacity becomes available.

- 16.4. The Distribution Licensee shall implement a web-based processing system for processing of the applications for Solar Net Metering, which shall be set up within three months of the notification of these Regulations.
- 16.5. Matters relating to subsidy shall be dealt by the State Nodal Agency/Distribution Licensee or as approved by MNRE from time to time.
- 16.6. The Distribution Licensee shall annually publish on its web, information relating to the Solar Projects added in the year, ratings of each Solar Project and other relevant information. The information shall also be submitted to the Commission by 30th April of the next year.
- 16.7. The plants with capacity more than 500 kWp shall be checked by the concerned Chief Electrical Inspector associated with the Distribution Licensee.

Miscellaneous

17. Power to relax

The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the Parties likely to be affected, relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

18. Power to amend

The Commission may at any time add, vary, alter, suspend, modify, amend or repeal any of the provisions of these Regulations.

19. Repeal and Savings

Save as otherwise provided in this Net Metering Regulations, 2019, JERC (Grid Connected Ground Mounted and Solar Rooftop and Metering) Regulations, 2015, together with amendments made from time to time, are hereby repealed:

Provided that for all purposes, including review matters pertaining to the period till notification of these Regulations, the issues relating to Net Metering shall be governed by the provisions of the JERC (Grid Connected Ground Mounted and Solar Rooftop and Metering) Regulations, 2015, including amendments thereto, as may be applicable.

20. Power to remove difficulties

In case of any difficulty arising while giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may either suo-motu or on a Petition, by an order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act as may appear to be necessary.

RAKESH KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exy./149/19]

Annexure A: Voltage level Harmonics, Standards: Harmonics & Inverter

Harmonics shall be as per IEEE 519 Standards. The permissible individual harmonics level shall be less than 3% (for both voltage and current harmonics) and Total Harmonics Distortion (THD) for both voltage and current harmonics of the Grid system shall be less than 5%.

Inverter Standards

Inverter should comply with IEC 61683/IS 61683 for efficiency and Measurements and should comply IEC 60068-2 (1, 2, 14, 30) / Equivalent BIS Standard for environmental testing. Inverter should supervise the grid condition continuously and in the event of grid failure (or) under voltage (or) over voltage, Solar Plant should be disconnected by the circuit Breaker / Auto switch provided in the Inverter.

Various Other Standards			
Sl.	Parameter	Reference	Requirements
1.	Overall conditions of service	State Distribution/Supply Code	State Distribution/Supply Code
2.	Overall Grid Standards	Central Electricity Authority (Grid Standard) Regulations 2010	Central Electricity Authority (Grid Standard) Regulations 2010
3.	Equipment	BIS / IEC / IEEE	BIS / IEC / IEEE
4.	Meters	Central Electricity Authority (Installation & operation of meters) Regulation 2006 as amended time to time	Central Electricity Authority (Installation & operation of meters) Regulation 2006 as amended time to time
5.	Safety and supply	Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010	Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010
6.	Harmonic Requirements Harmonic Current	IEEE 519 CEA (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations 2013.	IEEE 519 CEA (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations 2013.
7.	Synchronization	IEEE 519 CEA (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations 2013	Solar Plant must be equipped with a grid frequency synchronization device. Every time the generating station is synchronized to the electricity system. It shall not cause voltage fluctuation greater than +/- 5% at the point of connection.
8.	Voltage	IEEE 519 CEA (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations 2013	The voltage-operating window should minimize nuisance tripping and should be under operating range of 80% to 110% of the nominal connected voltage. Beyond a clearing time of 2 second, the Solar Plant must isolate itself from the grid.

Various Other Standards			
Sl.	Parameter	Reference	Requirements
9.	Flicker	IEEE 519 CEA (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations 2013	Operation of Solar Plant should not cause voltage flicker in excess of the limits stated in IEC 61000 standards or other equivalent Indian standards, if any.
10.	Frequency	IEEE 519 CEA (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations 2013	When the Distribution system frequency deviates outside the specified conditions (50.5 Hz on upper side and 47.5 Hz on lower side), There should be over and under frequency trip functions with a clearing time of 0.2 seconds.
11.	DC injection	IEEE 519 CEA (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations 2013	Should not inject DC power more than 0.5% of full rated output at the interconnection point or 1% of rated inverter output current into distribution system under any operating condition.
12.	Power Factor	IEEE 519 CEA (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations 2013	While the output of the inverter is greater than 50%, a lagging power factor of greater than 0.9 should operate.
13.	Islanding and Disconnection	IEEE 519 CEA (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations 2013	The Solar Project in the event of fault, voltage or frequency variations must island/disconnect itself within IEC standard on stipulated period.
14.	Overload and Overheat	IEEE 519 CEA (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations 2013	The inverter should have the facility to automatically switch off in case of overload or overheating and should restart when normal conditions are restored.
15.	Paralleling Device	IEEE 519 CEA (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations 2013	Paralleling device of Solar System shall be capable of withstanding 220% of the normal voltage at the interconnection point.
16.	Note: The standards/specifications shall be subject to amendments/revisions from time to time by the Distribution Licensee and the State Agency on respective websites.		

ANNEXURE-1 Procedure for Application for connectivity of Solar Project with Distribution Licensee's Network

- a) A Consumer intending to set up a Solar Project or who has already installed such a system may download the Application Form from the concerned Distribution Licensee's website and submit it, duly filled, along with technical details of the Project to the concerned office of the Distribution Licensee along with registration fee, or apply and pay the fee online.
- b) The Distribution Licensee shall register the Application and acknowledge its receipt within three working days; or intimate the Applicant within that period of any deficiency or incompleteness.

- c) The Distribution Licensee shall conduct a technical feasibility study within 15 working days from the registration of the Application considering the following aspects:
- i. AC Voltage level at which connectivity is sought;
 - ii. Sanctioned Load/Contract Demand of the Applicant;
 - iii. Rated Output AC Voltage of the proposed Solar Project;
 - iv. Available cumulative capacity of relevant Distribution Transformer;
- d) Before rejecting any application for setting up a Solar Project at a particular Distribution Transformer, the Distribution Licensee shall serve the Applicant with a notice to rectify, within 15 days or such longer period as may be necessary, the deficiencies.
- e) If found technically feasible, the Distribution Licensee shall, within 7 working days of the completion of the feasibility study, convey its approval for installing the Solar Project. The approval shall indicate the maximum permissible capacity of the Project, and shall be valid for a period of 4 months from the date of approval, or such extended period as may be agreed to by the Distribution Licensee.
- f) The Applicant shall, within the period of validity of such approval, submit the work completion report, along with relevant details (such as technical specifications, test reports received from manufacturer / system provider, etc.), with a request to the Distribution Licensee for the testing and commissioning of the Solar Project.
- g) The Distribution Licensee shall complete the testing and commissioning of the Project within 10 working days from receipt of such request, and shall install the Net Metering equipment and synchronize the Roof-top Solar PV System within 10 working days thereafter.
- h) The Eligible Consumer and Distribution Licensee shall enter into a Net Metering Connection Agreement in the prescribed format (**Annexure-3**) after the Solar Project is installed but before it is synchronized with the distribution network.

ANNEXURE-2 Model Application Form for installation of Solar Project under Net Metering arrangement

Name of Distribution Licensee []

Name of Administrative Office []

(To be filled by the Applicant in Block Letters)

1. Applicant's Full Name :
2. Address of the premises at which Solar Project is to be installed. :
3. Telephone/Mobile No. :
4. E-mail ID (if available) :
5. Alternate Address for communication (if any) :
6. Category of existing electricity connection :
7. Consumer No. :
8. Sanctioned Load / Contract Demand (in kW /kVA/ HP). :
9. Voltage at which existing supply has been given (in volts). :
10. Proposed AC capacity of Roof-top Solar PV System to be installed (in kW). :
11. Voltage at the output of Solar inverter (in volts). :
12. Details of Registration Fee paid :

(Rs. 500/-).

Date : _____

Signature of Applicant.

Application No. _____

Date of Receipt _____

List of documents attached with Application Form

1. Copy of the latest paid electricity bill.
 2. General Power of Attorney in favour of signatory in case of Partnership Firms; certified true copy of the Resolution, authorizing the signatory to deal with the concerned Distribution Licensee, passed by the Board of Directors in case of Companies (as applicable).
 3. Technical details of PV modules, Inverter and other equipment of system proposed to be installed.
 4. Proof of payment of Registration Fee.
-

ACKNOWLEDGEMENT

Received an Application from for connectivity/installation of Solar Project of capacity of kW as per details below: -

Date of Receipt	Applicant's Name	Application Number	Existing Consumer No.	Capacity of Roof-top Solar PV System
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Date :

(Signature and Designation of Authorized Officer).

ANNEXURE – 3 Model Net Metering Connection Agreement

This Agreement is made and entered into at (location)_____ on this (date)_____ day of (month)_____ (year)_____ between the Eligible Consumer (Name)_____ having premises at (address)_____ and Consumer No._____ as the first Party,

AND

The Distribution Licensee_____ (hereinafter referred to as 'the Licensee') and having its Registered Office at (address)_____ as second Party of this Agreement;

Whereas, the Eligible Consumer has applied to the Licensee for approval of a Net Metering Arrangement under the provisions of the Joint Electricity Regulatory Commission (Solar PV Grid Interactive System based on Net Metering) Regulations, 2019 (herein after referred to as 'the Net Metering Regulations') and sought its connectivity to the Licensee's Distribution Network;

And whereas, the Licensee has agreed to provide Network connectivity to the Eligible Consumer for injection of electricity generated from its Solar Project of _____ kilowatt;

Both Parties hereby agree as follows: -

1. Eligibility

The Solar Project meets the applicable norms for being integrated into the Distribution Network, and that the Eligible Consumer shall maintain the Project accordingly for the duration of this Agreement.

2. Technical and Inter-connection Requirements

2.1. The metering arrangement and the inter-connection of the Solar Project with the network of the Licensee shall be as per the provisions of the Net Metering Regulations and the technical standards and norms specified by the Central Electricity Authority for connectivity of distributed generation resources and for the installation and operation of meters.

2.2. The Eligible Consumer agrees, that he shall install, prior to connection of the Solar Project to the network of the Licensee, an isolation device (both automatic and in built within inverter and external manual relays); and the Licensee shall have access to it if required for the repair and maintenance of the Distribution Network.

2.3. The Licensee shall specify the interface/inter-connection point and metering point.

2.4. The Eligible Consumer shall furnish all relevant data, such as voltage, frequency, circuit breaker, isolator position in his System, as and when required by the Licensee.

3. Safety

3.1. The equipment connected to the Licensee's Distribution System shall be compliant with relevant International (IEEE/IEC) or Indian Standards (BIS), as the case may be, and the installation of electrical equipment shall comply with the requirements specified by the Central Electricity Authority regarding safety and electricity supply.

3.2. The design, installation, maintenance and operation of the Solar Project shall be undertaken in a manner conducive to the safety of the Roof-top Solar PV System as well as the Licensee's Network.

3.3. If, at any time, the Licensee determines that the Eligible Consumer's Solar Project is causing or may cause damage to and/or results in the Licensee's other Consumers or its assets, the Eligible Consumer shall disconnect the Solar Project from the distribution network upon direction from the Licensee, and shall undertake corrective measures at his own expense prior to re-connection.

3.4. The Licensee shall not be responsible for any accident resulting in injury to human beings or animals or damage to property that may occur due to back-feeding from the Solar Project when the grid supply is off. The Licensee may disconnect the installation at any time in the event of such exigencies to prevent such accident.

4. Other Clearances and Approvals

The Eligible Consumer shall obtain any statutory approvals and clearances that may be required, such as from the Electrical Inspector or the municipal or other authorities, before connecting the Solar Project to the distribution Network.

5. Period of Agreement, and Termination

This Agreement shall be for a period for 25 years, but may be terminated prematurely

- a) By mutual consent; or
- b) By the Eligible Consumer, by giving 30 days' notice to the Licensee;
- c) By the Licensee, by giving 30 days' notice, if the Eligible Consumer breaches any terms of this Agreement or the provisions of the Net Metering Regulations and does not remedy such breach within 30 days, or such other reasonable period as may be provided, of receiving notice of such breach, or for any other valid reason communicated by the Licensee in writing.

6. Access and Disconnection

6.1. The Eligible Consumer shall provide access to the Licensee to the metering equipment and disconnecting devices of Solar Project, both automatic and manual, by the Eligible Consumer.

6.2. If, in an emergent or outage situation, the Licensee cannot access the disconnecting devices of the Solar Project, both automatic and manual, it may disconnect power supply to the premises.

6.3. Upon termination of this Agreement under Clause 5, the Eligible Consumer shall disconnect the Solar Project forthwith from the Network of the Licensee.

7. Liabilities

7.1. The Parties shall indemnify each other for damages or adverse effects of either Party's negligence or misconduct during the installation of the Solar Project, connectivity with the distribution network and operation of the System.

7.2. The Parties shall not be liable to each other for any loss of profits or revenues, business interruption losses, loss of contract or goodwill, or for indirect, consequential, incidental or special damages including, but not limited to, punitive or exemplary damages, whether any of these liabilities, losses or damages arise in contract, or otherwise.

8. *Commercial Settlement*

8.1. The commercial settlements under this Agreement shall be in accordance with the Net Metering Regulations.

8.2. The Licensee shall not be liable to compensate the Eligible Consumer if his Solar Project is unable to inject surplus power generated into the Licensee's Network on account of failure of power supply in the grid/Network.

8.3. The existing metering System, if not in accordance with the Net Metering Regulations, shall be replaced by a bi-directional meter (whole current/CT operated), and a separate generation meter may be provided to measure Solar power generation. The bi-directional meter (whole current/CT operated) shall be installed at the inter-connection point to the Licensee's Network for recording export and import of energy.

8.4. The uni-directional and bi-directional meters shall be fixed in separate meter boxes in the same proximity.

8.5. The Licensee shall issue monthly electricity bill for the net metered energy on the scheduled date of meter reading. If the exported energy exceeds the imported energy, the Licensee shall show the net energy exported as credited Units of electricity as specified in the Net Metering Regulations, 2019. If the exported energy is less than the imported energy, the Eligible Consumer shall pay the Distribution Licensee for the net energy imported at the prevailing tariff approved by the Commission for the Consumer category to which he belongs.

9. *Connection Costs*

The Eligible Consumer shall bear all costs related to the setting up of the Solar Project, excluding the Net Metering Arrangement cost beyond the Net Meter.

10. *Dispute Resolution*

10.1. Any dispute arising under this Agreement shall be resolved promptly, in good faith and in an equitable manner by both the Parties.

10.2. Disputes pertaining to billing / payments and metering shall be referred to the Consumer Grievances Redressal Forum (CGRF) and then to the Ombudsman appointed under sub-section 6 of Section 42 of the Act for settlement in case the same is not resolved at CGRF.

In the witness, where of (Name)_____ for and on behalf of

Eligible Consumer and (Name)_____ for and on behalf of

(Licensee) agree to this agreement.